भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआई/2015-16/5

डीसीबीआर.बीपीडी(पीसीबी)एमसी.सं.6/13.01.000/2015-16 1 जुलाई 2015

कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया / महोदय

मास्टर परिपत्र

जमा खाता रखना - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

कृपया उपर्युक्त विषय पर 01 जुलाई 2014 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैवि.बीपीडी (पीसीबी) एमसी.सं.13/13.01.000/2014-15 (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब साइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध) देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2015 तक जारी सभी अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित एवं अद्यतन किया गया है तथा परिशिष्ट में उल्लिखित है।

भवदीया,

(सुमा वर्मा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त

सहकारी बैंक विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, गारमेंट हाऊस, पहली मंज़िल, डॉ. एनी बेसेंट मार्ग, वरली, मुंबई - 400018 भारत
फोन: 022 - 2493 9930 - 49; फैक्स: 022 - 2497 4030 / 2492 0231; ई-मेल: cgmdcbrco@rbi.org.in
DCBR, Central Office, Garment House, 1st Floor, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400018, India
Phone: 022 - 2493 9930 - 49; Fax: 022 - 2497 4030 / 2492 0231; E-mail: cgmdcbrco@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

चेतावनी: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ई-मेल, डाक, एसएमएस या फोन कॉल के जरिए किसी की भी व्यक्ति की जानकारी जैसे बैंक के खाते का ब्यौरा, पासवर्ड आदि नहीं मांगी जाती है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी तरीके से जवाब मत दीजिए।
Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc.It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.

मास्ट   परिपत्र

जमा खाता   रखना

विषय सूची

1.	**भूमिका**	1
2.	**जमा खाता खोलना**	1
2.1	नए जमाकर्ताओं का परिचय	1
2.2	खाता धारकों के फोटोग्राफ	2
2.3	खाता धारकों का पता	3
2.4	अन्य सुरक्षा उपाय	3
2.5	एनआरओ /एनआरई खाते खोलना	6
3.	**कुछ विशेष प्रकार के जमा खाता खोलने पर प्रतिबंध**	6
3.1	निश्चि अवरुद्धता अवधि वाली जमा योजनाएं	6
3.2	नाबालिगों के नाम से खाता खोलना	7
3.3	अभिभावक के रू में माँ के साथ बच्चे का खाता	7
4.	**नामांकन सुविधाएं**	8
4.1	परिचालनात्मक अनुदेश	8
4.2	अधिनियम प्रावधान	9
4.3	नियम	9
4.4	नामांकन का अभिलेख	11
4.5	सुरक्षित अभिरक्षा में रखे समानों के संबंध में नामांकन सुविधा	12
4.6	सुरक्षित जमा लॉकर खातों के संबंध में नामांकन	13
5.	**खातों का परिचालन**	15
5.1	संयुक्त खाते	15
5.2	नए खातों में परिचालनों की निगरानी	17
5.3	सभी खातों के परिचालनों की निगरानी करना	17
5.4	चेक बुक जारी करना	18
5.5	बैंको में अदावी जमाराशियां तथा अप्रचलित/निषि् य खाते	18
5.6	न्यूनतम शेष राशि बनाए न रखने पर पर् रित किया जाना	22
5.7	जमाकतार् शक्षा और जागरूकता निधि अधिनियम, 2014	22
5.8	वृद्ध/रुग्ण /अक्षम ग्राहकों द् ारा बैंक खातों का परिचालन	25
5.9	विदेशी सहयोग (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतगर् विभिन्न संगठनों द् ारा विदेशी सहयोग की प्राप्ति	25
6.	दिवंगत जमाकतार् ं से संबंधित दावों का निपटान	26

6.1	जीवित जमाकर्ता/नामिती उपबंध वाले खाते	27
6.3	जीवित जमाकर्ता/नामिती उपबंध रहित खाते	28
6.4	मीयादी जमा खाते का समय-पूर्व समापन	28
6.5	दिवंगत जमाकर्ता के नाम आनेवाले आगम का निपटान	29
6.6	सुरक्षित जमा लॉकर/सुरिक्षित हिफाज़त में रखी वस् ुओं तक पहुंच	29
6.7	दावों के निपटान के लिए समयसीमा	29
6.8	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के प्रावधान	30
6.9	ग्राहकों को सलाह तथा प्रचार	30
7.	**गुमशुदा व्यक्तयों के संबंध में दावों का निपटान**	30
8	**जमा संग्रहण**	31
8.1	जमा संग्रह एजेंट`	31
8.2	बैंक गारंटियों सहित अनिगमितनिकायों /प्राइवेट लिटेड कंपनियों से जमा स्वीकार करना	31
8.3	निजी संगठनों द् ारा शुरु की गई जमा संग्रह योजनाएं	31
9	**बैंकिंग प्रणाली तथा आयकर प्राधिकारियों के बीच अधिकाधिक समन्वय**	32
9.1	सुरक्षित जमा लॉकर	32
9.2	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारियों के साथ समन्वय	32
10	"अपने ग्राहक को जानिए" संबंधी दिशा निर्देश तथा धन शोधन निवारण मानक	32
अनुबंध I	संयुक्त खाते - `कोई एक या जीवित नामिति', `उत्तरवर्ती या जीवित नामिति'`पूर्ववर्ती या जीवित नामिति', आदि	33
अनुबंध II	जमाकतार् शक्षा और जागरूकता निधि अधिनियम, 2014	36
अनुबंध II (ए)	जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि अधिनियम, 2014 संबंधी दिशा-निर्देश	45
परिशिष्ट	मास्ट परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची	54

मास्ट परिपत्र

जमा खाता रखना

1. भूमिका

किसी बैंक में जमाराशियां स्वीकार करना और जमा खाता रखना मुख् कार्य होता है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में दी गई परिभाषा के अनुसार "बैंकिंग" शब्द की मूलभूत वैधानिक व्यख्य का अर्थ ऋण देने या निवेश करने के प्रयोजन से जनता से जमा राशियां स्वीकार करना बताया गया है जो मांग पर या अन् था चुकौती योग्य तथा चेक, ड्राफ् , आदेश या अन् था द्वारा आहरणीय हो। इस प्रकार जमा राशियां किसी बैंक का प्रधान संसाधन और अवलंब होती हैं और बैंक का मुख् उद्दय पर्याप्त जमाराशियाँ जुटाना है। जमा खाता खोलने तथा उन् संचालित/उनकी निगरानी करने के संबंध में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (युसीबी) को समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न अनुदेशों, दिशा-निर्देशों इत्यादि का विवरण नीचे दिया गया है।

2. जमा खाता खोलना

बैंकों में बहुत सारी धोखाधड़ियां मुख् रू से अवास्तविक नामों से खाते खोलकर, चेकों से अनियमित भुगतान, खातों में हेर-फेर तथा खातों में अनधिकृत परिचालनों के जरिए की जाती हैं।इस तथ्य पर विचार करते हुए कि खाता खोलना किसी व्यक्ति के लिए बैंक का ग्राहक बन जाने के लिए प्र प्रवेश बिंदु है, खाता खोलने तथा खातों में परिचालनों के प्रति अधिकतम सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 जिससे परक्राम्य लिखतों के भुगतान तथा संग्रह नियंत्रित होते हैं तथा जो जारी कतार्ओंआहरणकतार्ओ, आदाताओं, पृष्ठांकितियों, आहरणकतार्ओ संग्राहक बैंकों तथा आदाता/आहरणकर्ता बैंकों को कुछ अधिकार दायित्व (आब्लीगेसन्स) तथा सुरक्षाएं देता है, के अन्तगर् वैधानिक सुरक्षा भी तभी उपलब्ध होगी यदि आदेश पर देय किसी चेक/ड्राफ् का भुगतान बैंक उचित तरीके से करता है या स्वीकार करता है। किसी परक्राम्य लिखत के भुगतान या संग्रह को उचित तरीके से हुआ तभी माना जाता है यदि बैंक सदिच्छा से और बिना किसी लापरवाही से काम करता है और ऐसा वह ग्राहक के हित में करता है।

2.1 खाते खोलने के लिए परिचय अनिवार्य नहीं -

जैसा कि धनशोधन निवारण अधिनियम/ नियमावली में निर्धारित, दस्तावेज के आधार पर पहचान का सत्यापन करने की प्रणाली लागू करने से पहले, नए खाते खोलने के लिए बैंक के किसी मौजूदा ग्राहक द्वारा परिचय प्रस्तुत करना अनिवार्य माना जाता था। कई बैंकों में, खाते खोलने के लिए परिचय प्राप्त करना अब भी ग्राहक स्वीकार करने की नीति का अनिवार्य हिस्सा है भले ही हमारे अनुदेशों के अंतर्गत अपेक्षित पहचान एवं पते के दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हों। इससे खाता खोलने में भावी ग्राहकों के समक्ष समस्या उत्पन्न हो जाती है क्योंकि उनके लिए किसी मौजूदा ग्राहक से परिचय प्राप्त करना दुरूह होता है।

चूंकि पीएमएल अधिनियम एवं नियमावली तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा केवाईसी अनुदेशों के अंतर्गत खाते खोलने के लिए परिचय आवश्यक नहीं है, बैंकों को ग्राहकों का खाता खोलने के लिए परिचय का आग्रह नहीं करना चाहिए।

2.2 खाता धारकों के फोटोग्राफ

2.2.1 अनिवार्य रु से फोटोग्राफ प्राप्त करना

(i) बैंकों को सभी नए खाते खोलते समय जमाकर्ताओं/खाता धारकों के फोटोग्राफ प्राप्त करने चाहिए जो खातों का ारिचालन करने के लिए प्राधिकृत किए जाते हैं। ग्राहकों के फोटो नवीनतम होने चाहिए तथा खाता खोलने के लिए फार्म पर चिपकाए जाने वाले फोटोग्राफ की कीमत का वहन ग्राहक करें ।

(ii) जमा की प्रत्येक श्रेणी के लिए फोटोग्राफ का केवल एक सेट प्राप्त करना चाहिए न कि अलग - अलग फोटोग्राफ । विभिन्न प्रकार के जमा खातों के लिए आवेदन पत्रों का संदर्भ उचित प्रकार से रखना चाहिए।

(iii) बचत बैंक खाता तथा चालू खातों जैसे जमा खातों को परिचालित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तयों के फोटोग्राफ प्राप्त किए जाने चाहिए। सावधि / आवर्ती, संचयी आदि जैसे अन् जमा खातों के मामले में सिर्फ बच्चे के नाम से जमाराशियों को छोड़कर जहां अभिभावकों के फोटोग्राफ प्राप्त किए जा सकते हैं, सभी जमाकर्ताओं के फोटोग्राफ जिनके नाम से जमा प्राप्ति होती है, प्राप्त किए जाएं। अवयस्क ग्राहकों के मामले में उनके वयस्क होने पर नए फोटाग्राफ प्राप्त कर लेना चाहिए।

(iv) बैंकों को पदार्नीन महिलाओं के फोटोग्राफ भी प्राप्त करने चाहिए।

(v) बैंकों को एन आर ई, एन आर ओ, एफ सी एन आर खाता धारकों के फोटोग्राफ भी प्राप्त करने चाहिए।

खातों के परिचालन के लिए जब तक विशेष परिस्थितियों में जरुरी न हो तब तक सामान्यत: खाता धारक की उपस्थिति का आग्रह नहीं करना चाहिए । फोटोग्राफ नमूने हस्ताक्षर के विकल्प नहीं हो सकते।

2.2.2 अपवाद

(i) बैंक, स् ानीय प्राधिकारी तथा सरकारी विभागों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी निकायों को छोड़कर) को फोटोग्राफ की आवश्यकता से मुक् रखा गया है ।

(ii) उधार खातों जैसे नकद ऋण, ओवरड्राफ् खातों आदि के लिए फोटोग्राफ लेने की आवश्यकता नहीं है ।

(iii) बैंक स्टा सदस् ों (एकल/संयुक्) खातों के मामले में भी फोटोग्राफ के लिए आग्रह न करें ।

2.3 खाताधारकों का पता

बैंकों के लिए यह उचित नहीं है कि वे असावधानी से भी कर अपवंचन के लिए बे-ग़ैरत लोगों द्वारा खुद का इस्तेमाल होने दें। इसलिए, बैंकों को जमाकर्ताओं का पूरा तथा संपूर्ण पता प्राप्त करना चाहिए तथा इसे बहियों तथा खाता खोलने वाले फार्म में दर्ज करना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी कठिनाई केपक्षकारों की खोज की जा सके सभी मामलों में खाता - धारक के पते की स् तंत्र पुष्टि की जानी चाहिए।

2.4 अन् सुरक्षा उपाय

2.4.1 पीएएन/जी आई आर संखया

बैंकों के लिए यह अनिवायर है कि वे 50,000/- रु. या उससे अधिक की परारंभिक जमा से खाता खोलने वाले जमाकर्ता से पीएएन/जी आई आर नंबर प्राप्त करें ।

2.4.2 प्राधिकृत करना

नए खाते खोलने के लिए केवल शाखा प्रबंधक या बड़ी शाखाओं पर संबंधित जमा खाता विभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा ही प्राधिकृत किया जाना चाहिए ।

2.4.3 औपचारिकताएं पूरी करना

बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खाता खोलने की सभी औपचारिकताएं बैंक परिसर में पूरी की जाती हैं तथा कार्रवाई केलिए कोई दस् ावेज बाहर नहीं ले जाए। जहां उपर्युक् नियम का अपवाद एकदम आवश्यक हो वहां बैंक खातों में कोई परिचालन किए जाने से पहले आवश्यक जाँच हेतु समुचित रु से प्रारुपित जाँच पत्र पर हस्ताक्षरित फोटोग्राफ प्राप्त करके पंजीकृत पावती द्वारा अग्रेषित करके खाता खोलने वाले फार्म की प्रति तथा ग्राहकों को सहवर्ती अनुदेश प्रेषित करके ब्योरों का सत्यापन करने के लिए एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने जैसी सावधानी बरतें ।

2.4.4 चालू खाता खोलना - अनुशासन की आवश्यकता

बैंकों में बढ़ रही गैर-निष्पादक आस्ि यों को ध्यान में रखते हुए इसे कम करने के लिए यह जरू ी हो जाता है कि ऋण अनुशासन पर ध्यान दिया जाए। इसलिए आवश्यक है

कि बैंक खाताधारक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करें कि वे किसी अन्य बैंक से ऋण सुविधा प्राप्त नहीं कर रहे हैं या वे एक ऐसा प्रमाणपत्र दें जिसमे यह ब्यौरा दिया गया कि अन्य बैंक (बैंकों) से उन्हने कितना ऋण लिया है। खाता खोलने वाली बैंक ये सारे ब्यौरे प्राप्त करे और ऋण प्रदान करने वाली संबंधित बैंक से इसकी पुष्टि भी करे। खाता खोलने वाली बैंक उस बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र भी प्राप्त करे।

तथापि, यदि निवर्तमान बैंकर से 15 दिन की निर्धारित अवधि में कोई उत् र प्राप्त नहीं होता है तो इस ग्राहक का खाता खोला जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, उन संभाव्य ग्राहकों के बारे में भी पर्याप्त सावधानी वरती जाए जो कारपोरेट ग्राहक हों या जो एक से अधिक बैंकों से ऋण सुविधा का लाभ उठाते हों। इस स्थिति में बैंक, संघ के अग्रणी (यदि संबंधित बैंक संघ के सदस् हों तो) को और यदि इस सुविधा का लाभ बहु बैंक सुविधा के रू में लिया जा रहा हो तो संबंधित बैंको को सूचित करे।

बैंको को यह भी सूचित किया जाता है कि इन मामलों में जहा एक ओर पर्याप्त सावधानी बरती जाए वहीं इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ग्राहक संतुष्टि का उद्दय भी पूरा हो और इस बारे में अन्य बैंकें से प्राप्त होने वाले संदर्भों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाए।

2.4.7 वित्तीय समावेशन

शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि बैंक एक "बुनियादी बचत बैंक जमा खाता" खोलने का प्रस्ताव दें जिसमें उनके सभी ग्राहकों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम सामान्य सुविधाएं दी जाएंगी:

(i) 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' को सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध एक सामान्य बैंकिंग सेवा माना जाना चाहिए।

(ii) इस खाते के लिए किसी न्यूनतम शेष की अपेक्षा नहीं रहेगी।

(iii) इस खाते में उपलब्ध सेवाओं में बैंक की शाखा तथा एटीएमों में नकदी जमा व आहरण; इलेक् ॉनिक भुगतान चैनलों अथवा केंद्र/राज् सरकार की एजेंसियों और विभागों द्वारा आहरित चेकों के जमा/संग्रहण के माध्यम से धन प्राप्ति /जमा, शामिल होंगे;

(vi) यद्यपि एक माह के दौरान ग्राहक द्वारा जमा करने की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं होगी, तथापि खाताधारकों को एक माह के अंदर एटीएम आहरणों सहित अधिकतम चार आहरणों की ही अनुमति होगी; और

(v) एटीएम कार्ड अथवा एटीएम-सह-डेबिट कार्ड की सुविधा होगी;

उक्त सुविधाएं बिना किसी प्रभार के उपलब्ध कराई जाएंगी । साथ ही, 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' का परिचालन न होने पर या अपरिचालित खाते को सक्रिय करने के लिए किसी प्रकार का प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

शहरी सहकारी बैंक तर्कसंगत एवं पारदर्शी आधार पर निर्धारित बुनियादी न्यूनतम सेवाओं से परे अतिरिक्त मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए कीमतें तय करने वाली संरचना सहित अन्य अपेक्षाएं विकसित करने तथा उन्हें भेदभाव रहित आधार पर लागू करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' बैंक खाते खोलने के लिए 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (एएमएल) पर समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अधीन होगा । यदि ऐसा खाता सरलीकृत केवाईसी मानकों के आधार पर खोला जाता है, तो इस खाते को 'छोटा खाता' भी माना जाएगा और उस पर 'अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व ' पर दिनांक 02 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र यूबीडी.बीपीडी.(पीसीबी).एमसी.सं. 16/12.05.001/2012-13 के पैरा 2.6(iii) में निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' के धारक उसी बैंक में कोई अन्य बचत बैंक जमा खाता खोलने के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि उस बैंक में किसी ग्राहक का कोई दूसरा बचत बैंक जमा खाता पहले से मौजूद है, तो उसे 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' खोलने की तिथि से 30 दिनों के भीतर उसे बंद करना होगा।

मौजूदा बुनियादी बैंकिंग 'नो फ्रिल्स' खातों को 'बुनियादी बचत बैंक जमा खातों' में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। यद्य प वित्तीय समावेशन का उद्दय अपूर्ण होगा यदि बैंक उनकी पहूंच देश के दूर दराज तक नहीं ले जाते हैं। बाजवी आधारभूत सुविधा न् ूनतम परिचालन लागत तथा उचित तकनीकी के प्रयोग से यह साध्य करना होगा। बैंको को अपनी परिचालन लागत कम करने के लिए स्मॉल टिकट लेनदेन व्यवहार्य बनाने के लिए यह उपयोगी साबित होगा । इसलिए बैंकों से आग्रह किया जाता है कि वे यथोचित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए वित्तीय समावेशन की दिशा में अपने प्रयासों को तेज करें। इस बात पर ध्यान देना अनिवार्य है कि निकाले गए समाधान अत्यंत सुरक्षित हैं ,उनकी लेखापरीक्षा की जा सकती है ,वे व्यापक रू से स्वीकृत खुले मानकों का अनुपालन करते हैं ताकि विभिन्न बैंकों द्वारा अपनाई गई विभिन्न प्रणालियों के बीच आपस में अंतर-परिचालन किया जा सके ।

बैंकों तथा जनता से इस संबंध में प्राप्त विभिन्न प्रश्नों के मद्देनजर उक्त विषय पर 'अक्स पूछे जाने वाले प्रश ' ("एफएक्यू") की एक सूची आरबीआई की वेबसाइट में "एफएक्यू" टैब पर उपलब्ध कराया गया है।

2.5 एनआरओ / एनआरई खाते खोलना

2.5.1 शहरी सहकारी बैंकों के पुन:वर्गीकरण के फलस्वरूप उभरे एनआरओ खाते रख सकते है जैसे कि, विद्य ान निवासी खातेदार अनिवासी हो जाने पर तथा केवल ऐसे खातो में ही, आवधिक रू से ब्याज जमा करने की अनुमति है। शहरी सहकारी बैंको को नये एनआरओ खाते खोलने की अनुमति नहीं है। (प्राधिकृत व्यापरी संवर्ग । को छोड़कर)

2.5.3 राज् में पंजीकृत शहरी सहकारी बैंक जिन्होंने पर्यवेक्षी तथा नियंत्रक समन्वयन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ समझौता किया है तथा बहुराज् ीय सहकारी समितियां अधिनियम 2002 के अंतगर् पंजीकृत शहरी सहकारी बैंक जो निम्नलिखित मानदंडो का अनुपालन करते है एनआरई खाते रखने के प्राधिकार के लिए पात्र है ।

(i) 25 करोड़ का न् ूनतम नेटवर्थ
(ii) सीआरएआर 9% से कम न हो
(iii) निवल अनजर् आसि् यां 10% से कम
(iv) सीआरआर / एसएलआर का अनुपालन
(v) बिना किसी संचित हानि के पिछले तीन वर्षो का निवल लाभ
(vi) सक्षम आंतरिक नियंत्रण प्रणाली
(vii) केवाईसी / एएमएल मार्गदर्शी सिद्धांतों का संतोषजनक अनुपालन
(viii) बोर्ड में कम से कम दो व्यावसायिक अर्हता वाले निदेशकों का समावेश

3 कुछ विशेष प्रकार के जमा खाते खोलने पर प्रतिबंध

3.1 निश्चित अवरु ता अवधि वाली जमा योजनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह लाया गया हैं कि कुछ बैंक नियमित मीयादी जमाराशियों के अतिरिक्त अपने ग्राहकों को 300 दिन से पांच वर्ष तक की विस्तारित सीमा वाले विशेष मीयादी जमाराशि उत्पाद प्रस्तावित कर रहे हैं जिनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

(i) 6 से 12 महीने तक की विस्तारित सीमा वाली निश्चित अवरु ता अवधि;

(ii) निश्चित अवरुद्धता अवधि के दौरान समयपूर्व आहरण करने की अनुमति नहीं होती है। अवरुद्धता अवधि के दौरान समयपूर्व आहरण करने की स्थिति में ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है;

(iii) इन जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज की दरें, सामान्य जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज की दरों के अनुरू नहीं हैं;

(iv) कुछ बैंक विशिष्ट शर्तो के अधीन आंशिक रू से समयपूर्व भुगतान की अनुमति देते हैं।

संबंधित बोर्डो के अनुमोदन से नयी देशी जमा संग्रहण योजनाएं प्रारंभ करने से पहले जमाराशियों पर ब्याज की दरों, मीयादी जमाराशियों के समय पूर्व आहरण, मीयादी जमाराशियों की जमानत पर ऋण / अग्रिमों की स्वीकृति आदि के संबंध में भारतीय

रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए निदेशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। इससे संबंधित किसी भी उल् ंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतगर् दंड भी लगाया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि कुछ बैंकों द्वारा प्रवर्तित निश्चित अवरुद्धता अवधि वाली विशेष योजनाएं भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुरू नहीं हैं। अत: जिन बैंकों ने ऐसी जमायोजनाएं प्रवर्तित की हैं उन् ें सूचित किया जाता है कि वे उन योजनाओं को तत्काल प्रभाव से बंद करें और उसकी अनुपालन रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजें।

3.2 नाबालिगों के नाम से खाता खोलना

वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने तथा बैंकों के बीच नाबालिगों के खाते खोलने और परिचालन में समानता लाने की दृष्टि से बैंकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

(i) किसी भी आयु के नाबालिग द्वारा उसके नैसर्गिक या कानूनी रूप से नियुक्त अभिभावक के माध्यम से बचत/सावधि/आवर्ती बैंक खाता खोला जा सकता है।

(ii). 10 वर्ष से ऊपर की आयु वाले नाबालिग, यदि चाहें तो उन्हें स्वतंत्र रूप से बचत बैंक खाते खोलने और परिचालन करने की अनुमति दी जाए। तथापि, बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए नाबालिग की आयु के अनुसार उसके द्वारा स्वतंत्र रूप से परिचालन की राशि की सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं। वे अपने विवेक के अनुसार यह भी तय कर सकते हैं कि नाबालिगों द्वारा खाते खोलने के लिए न्यूनतम कौन से दस्तावेज अपेक्षित हैं।

(iii) बालिग होने पर पूर्व नाबालिग को उसके खाते में शेष राशि की पुष्टि करनी चाहिए और यदि खाते का परिचालन नैसर्गिक अभिभावक/कानूनी अभिभावक द्वारा किया जाता हो, तो नए सिरे से पूर्व नाबालिग के परिचालन संबंधी अनुदेश और नमूना हस्ताक्षर प्राप्त किए जाने चाहिएं तथा सभी परिचालनगत प्रयोजनों से अभिलेख में रखे जाने चाहिए।

(iv) शहरी सहकारी बैंक अतिरिक्त बैंकिंग सुविधाएं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/ डेबिट कार्ड, चेक बुक सुविधा आदि प्रस्तावित करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि नाबालिग खातों में अधि-आहरण की अनुमति न दी जाए तथा इनमें हमेशा जमा शेष बना रहे।

3.3 अभिभावक के रु में माता के साथ बच्चे का खाता

3.3.1 सामान्यतया बैंक संरक्षक के रु में माता के साथ बच्चे के नाम से खाता खोलना नहीं चाहते हैं। स्पष्ट तथा, पिता के जीवित रहते संरक्षक के रु में माता के प्रति उदासीनता का आधार हिंदू अल् वयस् ता तथा संरक्षकत्व अधिनियम, 1956 की धारा 6 है जो यह निर्धारित करती है कि जीते जी केवल पिता ही किसी हिंदू बच्चे का स्वाभाविक संरक्षक होता है।

3.3.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस समस्य के कानूनी तथा व्यावहारिक पहलुओं की समीक्षा की है और यह महसूस किया है कि यदि माताओं को संरक्षक माने जाने की मांग का मूल विचार केवल सावधि, आवर्ती जमा तथा बचत बैंक खाता खोलने से जुड़ा है तो आवश्यकताएं पूरी करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि वैधानिक प्रावधानों के बावजूद बैंकों द्वारा इस प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं बशर्ते वे खातों में परिचालन की अनुमति देने में पयार्त सुरक्षाएं बरततें हों तथा यह सुनिश्चित करते हों कि संरक्षक के रु में माताओं के साथ खोले गए बच्चों के खातों से अति आहरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन खातों में हमेशा जमा रहेगा । इस प्रकार, संविदा करने की बच्चे की क्षमता विवाद का विषय नहीं होगी ।

3.3.3 इसके अतिरिक्त, जिन मामलों में बड़ी धनराशि लगी हो तथा यदि बच्चा इतना बड़ा हो कि लेनदेन के प्रकार को समझता हो तो बैंक इस प्रकार के खाते से धन का भुगतान करने के लिए उसकी स्वीकृति भी ले सकते हैं ।

4. नामांकन सुविधाएं

4.1 परिचालनात्मक अनुदेश

(i) विभिन्न बैंकों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे नामों पर विचार किए गए वग़ैर नामांकन सुविधा सभी प्रकार के जमा खातों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए ।

(ii) जब तक कि ग्राहक नामांकन करना चाहे (गैर अनुपालन की अटकलों की गुंजाइश के बिना इसे दर्ज किया जाए) नामांकन सभी मौजूदा और नए खातों के लिए एक नियम होना चाहिए।

(iii) पेंशन जमा करने के लिए खोले गए बचत बैंक खाता हेतु नामांकन सुविधा उपलब्ध है। तथापि, सहकारी सोसायटियां (नामांकन) नियम, 1985 पेंशन बकाया (नामांकन) नियम, 1983 से भिन् हैं और पेंशन भोगी द्वारा पेंशन बकायों की प्राप्ति हेतु पेंशन बकाया (नामांकन) नियमों के अंतगर् किया गया नामांकन पेंशन भोगियों के बैंकों के जमा खातों के प्रयोजन के लिए वैध नहीं होगा जिसके लिए यदि पेंशनभोगी नामांकन सुविधा का लाभ उठाना चाहता हो तो सहकारी सोसायटियां (नामांकन) नियम, 1985 के अनुसार एक पृथक नामांकन आवश्यक है।

(iv) बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि जमा खाता खोलने वाली व्यक्ति को नामांकन भरने के लिए आग्रह किया जाए। खाता खोलने वाला व्यक्ति नामांकन भरने के लिए मना करता है तो बैंक को उसे नामांकन सुविधा के लाभ स्पष्ट करने चाहिए । इसके बावजूद यदि व्यक्ति नामांकन करने के लिए इच्छुक नहीं है तो बैंक को जमाकर्ता से इस आशय का पत्र प्राप्त करना चाहिए। यदि जमाकर्ता इस प्रकार का पत्र देने से भी इन्कार करें तो खाता खोलेने वाले फॉर्म पर इस तथ्य को दर्ज करना चाहिए और अन् पात्रता पूर्ण करने पर खाता खोलना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में केवल नामांकन करने

से मना करने के आधार पर बैंक को खाता खोलने से इन्कार नहीं करना चाहिए। एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान के जमा खातों के संबंध में यही क्रियाविधि अपनायी जाए।

(v) हम यह स्पष्टीकृत करते हैं कि सहकारी बैंक (नामांकन) नियमावली, 1985 के अंतर्गत निर्धारित विभिन्न फार्मों (बैंक जमा के लिए डी ए 1, डी ए 2 एवं डी ए 3 - सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए सामान के लिए एस सी 1, एस सी 2, एस सी 3 - सुरक्षित जमा लॉकर के लिए एस एल 1, एस एल 1 ए , एस एल 2, एस एल 3 एवं एस एल 3 ए) के लिए खाताधारक के अंगूठे के निशान को ही दो सक्षियों द्वारा अनुप्रमणित किया जाना है। खाताधारक के हस्ताक्षरों को दो सक्षियों द्वारा अनुप्रमणित किया जाना अपेक्षित नहीं है। बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे उक्त स्पष्टीकरण के आधार पर अनुदेशों का कडा अनुपालन सुनिश्चित करें।

4.2 अधिनियम प्रावधान

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेड ए से 45 जेड़ एफ तक (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) निम् लिखित मामलों में अन् बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती हैं :

(i) ताकि कोई सहकारी बैंक किसी दिवंगत जमाकर्ता के नामिनी को जमाकर्ता के जमाखाते में पड़ी राशि का भुगतान कर सके।

(ii) ताकि सहकारी बैंक किसी दिवंगत व्यक्ति द्वारा बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़ी गई वस्तुएं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित तरीके से वस्ुओं की सूची बनाने के बाद उसके नामिनी को लौटा सके।

(iii) ताकि बैंक सेफ़्टी लॉकर किराए पर लेने वाले किसी ग्राहक की मृत्ु हो जाने पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित तरीके से सेफ्टी लॉकर की वस्ुओं की सूची बनाकर उन वस्ुओं को दिवंगत ग्राहक के नामिनी को दे सके।

4.3 नियम

सहकारी बैंक (नामांकन) नियम 1985, में निम्नलखित का प्रावधान है:

(i) जमा खातों, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्ुओं तथा सुरक्षा लाकरों में रखी गई वस्ुओं के लिए नामांकन फार्म

(ii) नामांकन निरस् करने या उसमें परिवर्तन करने के लिए फार्म

(iii) नामांकनों का पंजीयन तथा नामांकनों को निरस् एवं उनमें परिवर्तन करना, तथा उपर्युक् से संबंधित मामले।

जमा खातों से संबंधित नामांकन के नियम निम्नलखित हैं :

(ए) किसी सहकारी बैंक द्वारा धारित एक या अधिक व्यक्तियों के नाम जमा के संबंध में जमाकर्ता द्वारा या सभी जमाकर्ताओं द्वारा मिलकर किया गया नामांकन।

(बी) कथित नामांकन केवल उसी जमा के बारे में किया जा सकता है जो कि जमाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत हैसियत में धारित है न कि किसी कार्यालय या अन् था धारक के रु में किसी प्रतिनिधि की हैसियत में ।

(सी) जहां नामिती अवयस् हो, नामांकन करते समय मामले के अनुसार जमाकर्ता या सभी जमाकर्ता किसी दूसरे व्यक्ति को जो अवयस् न हो जमाकर्ता की मृत्ु की स्थिति में या नामिती की अल् वयस् ता के दौरान सभी जमाकर्ताओं की मृत्ु के मामले में नामिती की तरफ़ से जमाराशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करें।

(डी) किसी अवयस्क के नाम से किए गए जमा के मामले में अवयस् की तरफ़ से विधि सम्मत् रु से अधिकृत व्यक्ति द्वारा नामांकन किया जाएगा ।

(इ) जमाकर्ता या मामले के अनुसार सभी जमाकर्ताओं द्वारा किए गए कथित नामांकन को रद्द करना।

(एफ) जमाकर्ता या मामले के अनुसार सभी जमाकर्ताओं द्वारा किए गए कथित नामांकन में परिवर्तन।

(जी) कथित नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जाएगा।

(एच) किसी सहकारी बैंक द्वारा जमाकर्ता या जमाकर्ताओं जैसा मामला हो के नामे खाता जमा धारित करने के दौरान नामांकन, नामांकन का निरस्तीकरण या नामांकन परिवर्तन उपर्युक् के अनुसार किया जा सकता है।

(आई) यदि कोई जमा एक से अधिक जमाकर्ताओं के नाम धारित हो तो किसी नामांकन का निरस् ीकरण या उसमें परिवर्तन तब तक वैध नहीं होगा जब तक नामांकन के निरस्तीकरण या उसमें परिवर्तन के समय जीवित सभी जमाकर्ताओं द्वारा न किया गया हो।

(जे) सहकारी बैंक किसी जमा के संबंध में जैसा मामला हो, नामांकन या नामांकन के निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन के विधिवत् पूरित संबंधित फार्म की प्राप्ति-सूचना लिखित रु में संबंधित जमाकर्ता या जमाकर्ताओं को देगा।

(के) सहकारी बैंक को प्रस्ुत नामांकन या नामांकन के निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन का विधिवत् भरा गया संबंधित फार्म को सहकारी बैंक की बहियों में दर्ज़ किया जाएगा।

(एल) नामांकन या नामांकन का निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन केवल जमा के नवीकरण के कारण से अप्रभावी नहीं हो जाएगा।

4.4 नामांकन का अभिलेख

4.4.1 नामांकन की प्राप्ति

सहकारी बैंक (नामांकन) नियमावली, 1985 के नियम 2(9), 3(8) और 4(9) के अनुसार बैंकों को नामांकन करने, नामांकन को रद्द करने तथा /अथवा उसमें परिवर्तन करने के विधिवत भरे गए संबंधित फॉर्म जमा किए जाने की सूचना जमाकर्ता (ओं) /लॉकर किराए पर लेने वाले (लों) को लिखित रू से देना आवश्यक है । बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू)तथा सहकारी बैंक (नामांकन) नियमावली, 1985 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें तथा नामांकन करने, नामांकन का रद्द करने तथा /अथवा उसमें परिवर्तन करने के विधिवत् भरे गए फॉर्म प्राप्त होने की सूचना देने के लिए एक उचित प्रणाली स्थापित करें । इस प्रकार की प्राप्ति-सूचना सभी ग्राहकों को दी जानी चाहिए, चाहे ग्राहकों ने इसकी मांग की हो या नहीं । इसके अतिरिक्त, यदि ग्राहक ऐसा करने के लिए सहमत हो तो बैंकों को चाहिए कि वे पासबुक /खाता विवरण /मीयादी जमा रसीदों पर 'नामांकन पंजीकृत' शब्दों के साथ नामिती का नाम भी दशार्ं।

4.4.2 नामांकन का पंजीकरण

नियम 2 (10), 3(9) तथा 4 (10) के अनुसार बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे नामांकनों, नामांकनों के निरस्तीकरण तथा/या उनमें परिवर्तनों को अपनी बहियों में दर्ज़ करें। तदनुसार, बैंकों को लाकरों के अपने जमाकर्ता (जमाकर्ताओं) किराएदार (किराएदारों) के नामांकन दर्ज करने या उनमें उनके द्वारा किए परिवर्तनों पर कार्रवाई करनी चाहिए।

नामांकन दर्ज करते समय निम्नलिखित पहलुओं का पालन करें:

(i) नामांकन फॉर्म प्राप्त करने के अतिरिक्त बैंक खाता खोलने वाले फॉर्म में नामिति के नाम तथा पते का उल्लेख करने का प्रावधान करें । ग्राहकों तक पहुँचने वाले चेकबुक, पासबुक तथा अन्य किसी साहित्य पर सटीक संदेश मुद्रित करने तथा नामांकन सुविधा को लोकप्रिय बनाने के लिए आवधिक अभियान चलाने के साथ-साथ नामांकन सुविधा के संबंध में प्रचार किए जाने की आवश्यकता है।

(ii) संयुक् जमाराशियों के मामले में किसी एक जमाकर्ता की मृत् के बाद अन्य जमाकर्ता (जमाकर्ताओं) द्वारा साथ-साथ परिचालन करने के लिए बैंक एक नामांकन में परिवर्तन/ निरस्तीकरण की अनुमति दें। यह उन जमाराशियों पर भी लागू होगा जिनमें परिचालन के लिए "जमाकर्ताओं में से कोई एक अथवा जीवित जमाकर्ता" अनुदेश हों। यह

नोट किया जाए कि संयुक् जमा खाता के मामले में नामिति का अधिकार सभी जमाकर्ताओं की मृत्ु के बाद ही होगा।

(iii) बैंक नामांकन सुविधा का लाभ उठाने के संबंध में `पंजीकृत नामांकन' के प्रतीक के साथ पास बुक के मुख पत्र पर स्थिति दर्ज़ करने की प्र शुरु करें। मीयादी जमा रसीद के मामले में भी ऐसा ही किया जाए।

4.5 सुरक्षित अभिरक्षा में रखे सामानों के संबंध में नामांकन सुविधा

4.5.1 वैधानिक उपबंध

सुरक्षित अभिरक्षा में रखे सामानों के नामांकन तथा उन् नामिति को वापस करने और अन् व्यक्तियों द्वारा उन पर किए जाने वाले दावों की नोटिस के विरुद्ध सुरक्षा का प्रावधान करने वाले वैधानिक उपबंधों का ब्यौरा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 45 जेड़ सी तथा 45 ज़ेड डी में दिया गया है।

4.5.2 सुरक्षित अभिरक्षा में रखे सामानों के संबंध में नामांकन नियम

सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए सामानों के संबंध में नामांकन नियम निम्नलखित हैं :

(ए) किसी सहकारी बैंक में सुरक्षित अभिरक्षा में छोडे गए सामानों के संबंध में किसी व्यक्ति (जिसे इसके बाद "जमाकर्ता" कहा जाएगा) द्वारा किया जानेवाला नामांकन।

(बी) जिस मामले में नामिति अवयस्क हो वहां जमाकर्ता नामांकन करते समय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करें जो अवयस् न हो और जो नामिति की अल्प वयस् ता के दौरान जमाकर्ता की मृत्ु की स्थिति में नामिति की तरफ़ से कथित सामान प्राप्त कर सके।

(सी) जिस मामले में किसी अल्प वयस् के नाम से किसी सहकारी बैंक में सामान सुरक्षित अभिरक्षा में पड़े हों तो नामांकन उसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो अल्प वयस् की तरफ़ से विधि सम्मत् ढंग से इसके लिए अधिकृत है।

(डी) नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जाना चाहिए।

(इ) किसी सहकारी बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में जितने समय तक सामान जमा रहते हैं उतने समय के दौरान कभी भी जमाकर्ता नामांकन, नामांकन का निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन कर सकता है।

(एफ) सहकारी बैंक को इस प्रकार जमा किए गए सामानों के संबंध में मामले के अनुसार नामांकन या नामांकन के निरस्ीकरण या नामांकन में परिवर्तन से संबंधित विधिवत् भरे गए फॉर्म जमा करने की प्राप्ति - सूचना जमाकर्ता को लिखित तौर पर देनी चाहिए।

(जी) सहकारी बैंक में जमा किए गए नामांकन, या नामांकन के निरस् ीकरण या नामांकन में परिवर्तन के संबंध में विधिवत् भरे गए फॉर्म को सहकारी बैंक की बहियों में दर्ज़ किया जाना चाहिए।

4.5.3 परिचालनात्मक अनुदेश

(i) नामांकन सुविधाएं केवल व्यक्तिग जमाकर्ताओं के मामले में उपलब्ध हैं न कि सुरक्षित अभिरक्षा में संयुक् रु से सामान जमा करने वाले व्यक्तयों के संबंध में।

(ii) नामिति या नामितियों तथा जीवित उत्तराधिकारियों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखे सामान लौटाते समय बैंक उन् देते समय उनकी सुरक्षित अभिरक्षा में रखे मुहरबंद/बंद पैकेट न खोलें।

(iii) किसी दिवंगत जमाकर्ता द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़े गए सामान नामिति को लौटाने के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 45 जेड सी (3) तथा 45 जेड ई (4) के अनुपालन में उक्त प्रयोजन के लिए प्रारुप निर्धारित कर दिए हैं ।

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुरक्षित अभिरक्षा में रखे सामान सही नामिति को वापस किए जाते हैं तथा मृत्ु का प्रमाण सत्यापित करने के लिए भी सहकारी बैंक अपने दावा प्रारुप बनाएं या उनके अपने महासंघ/संगठन या इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा इस प्रयोजन के लिए यदि कोई प्रक्रिया सुझाई गई हो तो उसका पालन करें । जहां तक जमाकर्ता की मृत्ु के प्रमाण का संबंध है इंडियन बैंक एसोसिएशन ने अपने सदस्य को सूचित किया है कि वे मृत्ु प्रमाण पत्र प्रस्ुत करने या मृत्यु के प्रमाण का अन् कोई संतोषजनक माध्यम जैसे बैंकों में प्रचलित प्रक्रियाओं का पालन करें।

4.6 सुरक्षित जमा लॉकर खातों के संबंध में नामांकन

4.6.1 वैधानिक उपबंध

सुरक्षित लॉकरों में रखे सामानों के नामांकन तथा उन् नामिति को निगर् करने और अन् व्यक्तियों द्वारा किए गए दावों की सूचना के विरुद्ध सुरक्षा से संबंधित वैधानिक उपबंधों का विवरण उक्त अधिनियम की धारा 45 जेड ई तथा 45 जेड एफ में दिया गया है।

4.6.2 सुरक्षा लॉकर के संबंध में नामांकन नियम

सुरक्षा लॉकर के संबंध में नामांकन संबंधी नियम नीचे दिए गए हैं :

(ए) जहां किसी सहकारी बैंक से दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक् रु से लॉकर किराए पर लिया गया हो तो नामांकन इस प्रकार के किराएदारों द्वारा किया जाए।

(बी) किसी लॉकर के इकलौते किराएदार के मामले में नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जाएगा।

(सी) जहां लॉकर किसी अल् वयस् बच्चे के नाम पर किराए पर लिया गया हो तो नामांकन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो अल्पवयस् बच्चे की तरफ से परिचालन करने के लिए कानूनी तौर पर अधिकृत हो।

(डी) लॉकर के किसी इकलौते किराएदार या संयुक् किराएदारों द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, किए जाने वाले कथित नामांकन का निरस्तीकरण

(इ) किसी लॉकर के इकलौते किराएदार द्वारा किए जाने वाले कथित नामांकन में परिवर्तन

(एफ) किसी लॉकर के संयुक् किराएदारों द्वारा किए जाने वाले नामांकन में परिवर्तन

(जी) कोई नामांकन, किसी नामांकन का निरस्तीकरण अथवा नामांकन में परिवर्तन जितने समय तक लॉकर किराए पर लिया गया हो उतने समय के दौरान किसी भी समय उपर्युक् प्रकार से किया जा सकता है।

(एच) सहकारी बैंक इस प्रकार किराए पर लिए गए लॉकर के संबंध में मामले के अनुसार नामांकन या नामांकन के निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन से संबंधित विधिवत् भरे गए फ़ार्म दायर करने की प्राप्ति सूचना लिखित रु में इकलौते किराएदार या संयुक् किराएदारों को देगा ।

(आई) सहकारी बैंक में दायर नामांकन या नामांकन के निरस्तीकरण या नामांकन में परिवर्तन के संबंध में विधिवत् भरे गए फॉर्म को सहकारी बैंक की बहियों में दर्ज़ किया जाएगा।

4.6.3 परिचालनात्मक अनुदेश

(i) नामिति (यों) की लॉकर तक पहुँच तथा उसे/उन् लॉकर के सामान हटाने की अनुमति देने के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 45 जेड सी (3) तथा 45 जेड ई (4) के अनुपालन में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के लिए प्रारुप निर्धारित कर दिए हैं।

(ii) बैंक उपर्युक् पैरा 4.5.3 (iv) में किए गए उल्लेख के अनुसार कार्रवाई करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जमा की राशियां, सुरक्षित अभिरक्षा में रखे सामान तथा लॉकरों के सामान सही नामिति को लौटाए गए हैं ।

(iii) लॉकरों के सामान नामिति या नामितियों तथा जीवि त किराएदारों को
निगर् करते समय बैंक लॉकर में पाए गए मुहरबंद/बंद पैकेट नखोलें ।

(iv) जहां तक संयुक् रु से किराए पर लिए गए लॉकर का संबंध है तो संयुक् किराएदारों में से किसी एक की मृत् ु हो जाने पर लॉकर से सामान हटाने (नामिति तथा जीवित व्‍य क्‍तयों द्‌वारा संयुक् रु से) की अनुमति निर्धारित तरीके से सामान की सूची देने के बाद ही दी जाए । इस प्रकार के मामले में सामान सूची से पहले इस प्रकार सामान हटाने के बाद यदि नामिति तथा जीवित उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) चाहें तो लॉकर किराए पर लेने की एक नई संविदा करके सभी सामान उसी बैंक में अभी भी रख सकते हैं।

(v) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 45 जेड ई किसी अल् वयस् को किसी लॉकर के सामान की सुपुर्दगी प्राप्त करने के लिए नामिति होने से नहीं रोकती । तथापि, इस प्रकार के मामलों में बैंकों का उत् रदायित् यह सुनिश्चित करना है कि जब किसी लॉकर के सामान किसी अल् वयस्क नामिति की तरफ से निकाले जाने हों तो वस्तुएं ऐसे व्यक्ति को सुपुर्द की जाएं जो कानून अल् वयस् नामिति की तरफ़ से वस्तुएं प्राप्त करने के लिए सक्षम हो ।

5. खातों का परिचालन

5.1 संयुक् खाते

5.1.1 संयुक् खातों के परिचालन के तरीके

(i) भारतीय बैंक एसोसिएशन से 28 अगस् 1980 को प्राप्त पत्र सं. एलए.सी/19-96-29 की प्रति अनुबंध I में दी गई है । बैंक अपनी शाखाओं के सूचनार्थ तथा इस विषय पर आवश्यक मार्गदर्शन के लिए समुचित अनुदेश जारी करने की वांछनीयता पर विचार कर सकते हैं।

(ii) यदि मीयादी/ सावधि जमाराशि खाते 'दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी' इस अनुदेश के साथ खोले गए है तो परिपक् ता पर जमाराशि का भुगतान करने के लिए दोनो जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। तथापि, परिपक् ता अवधि के पहले जमाराशि का भुगतान करने के लिए दोनो जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करना आवश्यक है। यदि खाता खोलते समय 'दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी' यह परिचालन अनुदेश दिए गए हो और परिपक् ता अवधि से पहले दोनो में से एक जमाकर्ता की मृत्यू हो जाती है तो, मृत जमाकर्ता के कानूनी वारिस की सहमति के बिना मीयादी /सावधि जमाराशि का परिपक् ता अवधि से पहले भुगतान न किया जाए। यद्‌यपि, इससे परिपक् ता अवधि पर उत्तजीवी को भुगतान करने में कोई बाधा नहीं होगी।

(iii) 'पूर्ववर्ती व्यक्ित या उत्तरजीवी' परिचालन अनुदेश होने की स्थिति में दोनो जमाकर्ता जीवित होने के बावजूद सिर्फ पूर्ववर्ती व्यक्ित मीयादी /सावधि जमाराशि का परिचालन /

आहरण कर सकता है। तथापि, परिपक्वता अवधि से पहले जमाराशि का भुगतान करने के लिए दोनो जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने चाहिए। यदि पूर्ववर्ती व्यकि मीयादी/ सावधि जमाराशि की परिपक् ता अवधि से पहले मृत हो जाता है तो परिपक् ता पर उत्तरजीवी जमाराशि आहरित कर सकता है। यद्यपि जमाराशि के अवधिपूर्व आहरण के लिए दोनों जमाकर्ता यदि जीवित है, तथा उत्तरजीवी जमाकर्ता और दोनों मे से किसी एक की मृत्यू हो जाने पर मृत जमाकर्ता के कानूनी वारिस, दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है।

(iv) यदि संयुक्त जमाकर्ता 'दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी या पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी' परिचालन आदेश, जैसे भी स्थिति हो के साथ मीयादी /सावधि जमाराशि का अवधिपूर्व आहरण करना पसंद करते है तो बैंक ऐसे कर सकता है, बशर्ते इस प्रयोजन के लिए बैंक ने जमाकर्ताओं से संयुक्त आदेश प्राप्त किया हो।

5.1.2 संयुक् खाता खोलने में बरती जाने वाली सावधानियां

(i) बहुत सारे संयुक् खाताधारकों के मामले में बैंकों को संयुक् खाते खोलते समय तथा उनमें परिचालन की अनुमति देते समय निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए :

(ए) यद्य प किसी संयुक् खाते में खाताधारकों की संख्य पर कोई प्रतिबंध नहीं है फिर भी यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे संयुक् खाता खोलने के प्रत्येक अनुरोध की बहुत सावधानी से जाँच करें । विशेष रु से, पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के स् रु , व्यवसाय से जुड़े अन् संबंधित पहलुओं, खाताधारकों की वित्तीय स्थिति पर खाता खोलने से पूर्व गौर करना जरुरी है । उस स्थिति में भी सावधानी बरतने की जरुरत है जब खाताधारकों की संख्य बड़ी हो।

(बी) तीसरे पक्षकारों को भुगतान के लिए आदाता खाता चेकों का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए।

(सी) ऐसे चेक जो "सामान्य रु से रेखित" हों, ही आदाता द्वारा समुचित परांकन के बाद संग्रहीत किए जाने चाहिए।

(डी) बड़ी राशियों के चेकों की वसूली में सावधानी बरतनी चाहिए।

(इ) संयुक् खातों में किए गए लेनदेनों की संवीक्षा बैंकों द्वारा आवधिक रु से की जानी चाहिए तथा मामले में जो भी कार्रवाई उचित हो की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि संयुक् खातों का प्रयोग बेनामी लेनदेनों के लिए नहीं किया जा रहा है।

(ii) आंतरिक नियंत्रण तथा सतर्कता तंत्र को सख़् किया जाना चाहिए ताकि संयुक् खाते खोलने तथा उनमें परिचालन से जुड़े उपर्युक् पहलूओं पर निगरानी रखी जा सके।

5.2 नए खातों में परिचालनों की निगरानी

5.2.1 नए खातों में परिचालनों पर गहन निगरानी रखने के लिए एक प्रणाली की शुरुआ की जानी चाहिए । हालांकि शाखाओं पर नए-नए खोले गए खातों की निगरानी करने की जिम् `दारी प्रमुख रु से संबंधित विभाग/अनुभाग के प्रभारियों की होगी जबकि बड़ी शाखाओं पर शाखा प्रबंधकों या जमा खाता विभाग के प्रबंधकों को इस प्रकार के खाते खोले जाने की तारीख़ से कम से कम पहले छ: महीनों तक गहन निगरानी करनी चाहिए ताकि इस प्रकार के खातों में फर्जी या संदिग्ध लेनदेन होने को रोका जा सके । यदि किसी प्रकार के संदिग्ध लेनदेन का पता चलता है तो बैंक को खाता धारक से लेनदेन के बारे में पूछताछ करनी चाहिए और यदि कोई संतोषजनक स् ष्टकरण न मिले तो उन्हें इस प्रकार के लेनदेनों की सूचना उचित जाँच एजेंसी को देने पर विचार करना चाहिए ।

5.2.2 जब कभी बड़ी राशियों के लिए चेक/ड्राफ् वसूली के लिए प्रस् ुत किए जाते हों या नए खाते खुलने के तुरंत बाद/थोडी समयावधि के भीतर नए खातों में नामे खाता करने के लिए टेलीग्रॉफिक अंतरण (टीटी)/मेल अंतरण (एमटी) प्राप्त हों तो सावधानी बरतनी चाहिए । इस प्रकार के मामलों में, लिखतों तथा खाताधारक के औचित् का विस्तापूर्वक सत्यापन करना चाहिए । यदि आवश्यक हो तो आदाता बैंक को संग्राहक बैंक से जारी होने वाले बड़ी राशि के चेकों/ड्राफ् ों के औचित् के बारे में जाँच करनी चाहिए । वसूली के लिए प्रस् ुत बड़ी राशि वाले मांग ड्राफ् ों/चेकों का सत्यापन बैगनी लैपों से किया जाना चाहिए ताकि रासायनिक रु से किए गए हेर-फेर की जाँच हो सके।

5.3 सभी खातों में परिचालनों की निगरानी करना

5.3.1 बड़ी राशियों के नकदी आहरणों की गहन निगरानी की एक प्रणाली स्थापित की जाए । जब मौजूदा तथा नए खोले गए खातों में तीसरे पक्षकार के चेक, ड्राफ् आदि जमा किए जाते हों और उसके बाद बड़ी राशियों के लिए नकद आहरण किए जा रहे हों तो बैंकों को बड़ी राशियों हेतु नकद आहरणों के लिए अपने ग्राहकों द्वारा किए गए अनुरोधों पर उचित निगरानी रखनी चाहिए।

5.3.2 बैंकों को 5 लाख रु. तथा उससे अधिक की नकद जमा तथा आहरणों की सधन निगरानी की व्यवस्था न केवल जमा खातों में बल्कि नकद/ओवर ड्राफ् आदि जैसे अन् सभी खातों में भी शुरु करनी चाहिए । बैंकों/शाखाओं को 5 लाख रु. तथा उससे अधिक के लिए व्यक्तिगत नकद जमा राशियों तथा आहरणों का विवरण दर्ज करने के लिए एक अलग रजिस्टर रखना चाहिए । जमाओं के मामले में दर्ज़ किए गए आंकड़ों में खाता - धारक का नाम, खाता संख्य, जमा की गई राशि तथा आहरणों के मामले में

खाताधारक का नाम, खाता संख्य, आहरण की राशि तथा चेक के लाभार्थी का नाम शामिल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, 5 लाख रु. तथा उससे अधिक की किसी नकद जमा या आहरणों की सूचना शाखा प्रबंधक द्वारा खाता धारक के नाम, खाता संख्य, खाता खोलने की तारीख जैसे पूर्ण विवरणों के साथ पखवाड़े के आधार पर प्रधान कार्यालय को देनी चाहिए । शाखाओं से इन विवरणों के प्राप्त होने के बाद प्रधान कार्यालय को तुरंत उनके ब्यौरों की जांच करनी चाहिए और लेनदेन प्र दृष्टया संदिग्ध लगते हों या संदेह पैदा करते हों तो अधिकारियों को प्रतिनियुक् करके ऐसे लेनदेनों की जाँच करवानी चाहिए । भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारी भी निरीक्षणों के दौरान शाखाओं द्वारा प्रस्तुत विवरणों की जाँच करेंगे ।

5.3.3 चेकों के भुगतान में अन् महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता है, आहरणकर्ता के हस्ताक्षर का सत्यापन, नमूना हस्ताक्षरों के कार्ड की अभिरक्षा, चेक बुक जारी करने में निगरानी तथा खाली चेक बुक/पन् ों की अभिरक्षा पर नियंत्रण हैं । हालांकि बड़ी राशियों के चेकों की पराबैंगनी किरण लैंपों से जाँच करने की जरुरत को सभी बैंकों ने स्वीकार किया है परंतु व्यवहार में बमुश्किल ऐसा किया जाता है क् ोंकि ऐसे मामले में प्राय: ढिलाई बरतने की प्रवृत्ति होती है जिसके परिणामस्वरुप परिहार्य हानि होती है । इसके अतिरिक्त टोकन जारी करने एवं उनकी अभिरक्षा, काउंटर पर प्रस्तुत किए गए चेकों के संचलन तथा बैंकों द्वारा भुगतान कर दिए जाने के बाद सभी लिखतों की अभिरक्षा के संबंध में उचित ध्यान दिया जाना चाहिए । खाते बंद करते/स् ानांतरित करते समय जमाकर्ताओं/ग्राहकों से अप्रयुक् चेक बुक सौंपने के लिए कहना चाहिए । नमूना हस्ताक्षर कार्डों की सुरक्षित अभिरक्षा का, विशेष रु से जब परिचालनात्मक अनुदेश परिवर्तित हो गए हों, बहुत महत् होता है । इस परिवर्तन का विधिवत् सत्यापन शाखा के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए ।

5.4 चेक बुक जारी करना

नए चेक बुक पक्षकार को जारी किए गए पिछले चेक बुक की विधिवत् हस्ताक्षरित मांग पर्चियां प्रस् ुत करने के बाद ही जारी किए जाने चाहिए। यदि कोई चेक बुक किसी मांग पत्र पर जारी किया जाता है तो आहरण कर्ता को बैंक में व्यक्तिग रु से आने के लिए कहना चाहिए या बिना वाहक को सुपुर्द किए चेक बुक पंजीकृत डाक से सीधे उसे भेज दिया जाना चाहिए । खुले चेक केवल खाता धारक को तभी जारी करना चाहिए जब वे व्यक्तिग रु से मांग पत्र लेकर पास बुक प्रस् ुत करते हैं।

5.5 बैंकों में अदावी जमाराशियां तथा अप्रचलित/निष्क्रिय खाते

बैंकों के पास अदावी जमाराशियों की प्रति वर्ष बढ़ती हुई राशि तथा एसी जमाराशियों से संबद्ध अंतर्निहित जोखिम के परिप्रेक्ष्य में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि जिन खाताधारकों के खाते निष्क्रिय रहे हैं, उनका पता-ठिकाना ढूंढने में बैंकों को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इसके अलावा, ऐसी भी धारणा बनी है कि बैंक, ब्याज का भुगतान किए बिना अदावी जमाराशियों का अनुचित फायदा उठा रहे हैं। इन कारकों को

ध्यान रखते हुए बैंकों को अप्रचलित/निष्क्रिय खातों पर कार्रवाई करते समय नीचे निर्दिष्ट अनुदेशों का अनुपालन करें:

(i) शहरी सहकारी बैंकों को उन खातों की वार्षिक समीक्षा करनी चाहिए जिनमें एक वर्ष से अधिक अवधि से कोई भी परिचालन नहीं हुआ है (अर्थात्:आवधिक ब्याज जमा करने अथवा सेवा प्रभार नामे डालने के अलावा कोई जमा अथवा नामे प्रविष्टि नहीं है)। ऐसे मामलों में, बैंक ग्राहकों से संपर्क करें और उन् लिखित रू में यह स्।चित करें कि उनके खातों में कोई परिचालन नहीं किया गया है और उनसे इसका कारण प्।छें। यदि ग्राहकों का उक्त इलाके से स् ानांतरण होने के कारण खाते निष्क्रिय हैं तो ग्राहकों से उनकेनए बैंक खातों के ब्योरे देने के लिए कहा जाए जिनमे विद्यमान खाते की शेष राशि को अंतरित किया जा सके।

(ii) यदि वे पत्र अवितरित वापस आते हैं तो बैंकों को चाहिए कि वे अपने ग्राहकों का अथवा ग्राहकों की मृत् हो जाने की स्थिति में उनके कान्।नी वारिसों का पता-ठिकाना ढूंढने के लिए तत्काल जांच कार्रवाई प्रारंभ करें।

(iii) यदि ग्राहक का पता-ठिकाना नहीं मिल रहा है तो बैंक को खाताधारक का परिचय करानेवाले व्यक्तियों से संपर्क करने पर विचार करना चाहिए । यदि ग्राहक के नियोजक / अथवा किसी अन् व्यक्ति के ब्योरे उपलब्ध हैं तो उनसे भी संपर्क करने पर विचार किया जा सकता है। खाताधारक का टेलीफोन नंबर/सेल नंबर यदि बैंक को दिया गया है तो बैंक उससे फोन पर भी संपर्क करने पर विचार कर सकते हैं। अनिवासी खातों के मामले में बैंक खाताधारकों से ई-मेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं और खाते के ब्योरे के संबंध में उनकी ष्टि प्राप्त कर सकते हैं।

(iv) जनहित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त परिपत्र में निहित अनुदेशों के अतिरिक्त बैंकों को अदावी जमाराशियों/ निष्क्रिय खातों के खाताधारकों का पता लगाने के लिए अधिक सक्रिय (प्रो-एक्टि व) भूमिका निभानी चाहिए। अतः उन्हें सूचित किया जाता है कि वे अपनी वेबसाइटों पर उन अदावी जमाराशियों/ निष्क्रिय खातों की सूची प्रदर्शित करें जो दस वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से निष्क्रिय हैं। जिन बैंकों के पास वेबसाईट उपलब्ध नहीं है उनको संबंधित शाखा में यह सूची उपलब्ध कराना है। वेबसाइटों पर इस प्रकार प्रदर्शित/ शाखा में प्रदर्शित की गयी सूची में अदावी जमाराशियों/ निष्क्रिय खातों से संबंधित खाता धारक (धारकों) के केवल नाम तथा पते होने चाहिए। यदि ऐसे खाते व्यक्ति ों के नाम में नहीं हैं तो खातों को परिचालित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति ों के नाम भी दर्शाए जाने चाहिए। तथापि बैंक की वेबसाइट पर खाता संख्य, खाते का प्रकार तथा शाखा का नाम (यूनिट बैंकों के मामलों में लागू नहीं) प्रकट नहीं किया जाएगा। बैंक द्वारा प्रकाशित की गयी सूची में एक "**फाइंड** (Find)" विकल्प प्रदान किया जाना चाहिए ताकि आम जनता खाता धारक के नाम से खातों की सूची खोज सके। सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 30 जून 2015 तक उपर्युक्त बताए अनुसार कार्रवाई करें।

(v) बचत तथा चालू खाता, दोनों में अगर दो वर्ष से अधिक अवधि से कोई लेनदेन नहीं हो रहा है तो उन्ें निष्क्राय खाता माना जाए।

(vi) यदि खाताधारक खाते को परिचालन न करने के लिए कारण देते हुए कोई उत् र देता है तो बैंकों को एक और वर्ष की अवधि के लिए उस खाते को सक्रिय खाते के रू में वर्गीकृत करना जारी रखना चाहिए। इस अवधि के भीतर उस खाताधारक को खाते का परिचालन करने के लिए अन्रोध किया जाए। तथापि, विस्तारित अवधि के दौरान भी खाताधारक यदि खाता परिचालित नहीं करता है तो बैंकों को चाहिए कि विस्तारित अवधि समाप्त होने के बाद वे उसका निष्क्रिय श्रेणी में वर्गीकरण करें।

(vii) किसी भी खाते को 'निष्क्रिय' रू में वर्गीकृत करने के प्रयोजन के लिए ग्राहक तथा अन् पार्टी के अनुरोध पर किए गए दोनों प्रकार के लेनेदेन, अर्थात् नामे तथा जमा लेनदेन को विचार में लेना चाहिए। तथापि बैंक द्वारा लगाए गए सेवा प्रभार तथा बैंक द्वारा जमा किये गये ब्याज को ध्यान में नहीं लिया जाए। ऐसे उदाहरण हो सकते है जब किसी ग्राहक में सावधि जमाखाते पर उपचित ब्याज बचत बैंक खाते में जमा करने का अधिदेश (मेनडेट) दिया हो और उक्त बचत खाते में इसके अलावा कोई अन्य परिचालन न किया गया हो । सावधि जमा खाते पर उपचित ब्याज बचत बैंक खाते में जमा किए जाने के कारण उसे ग्राहक प्रेरित लेनदेन माना जाना चाहिए । इस प्रकार जब तक सावधि जमाराशि का ब्याज बचत बैंक खाते में जमा किया जाता है तब तक उस खाते को सक्रिय माना जाए। सावधि जमा खाते का ब्याज जमा करने की अंतिम प्रविष्टि की तारीख से दो वर्ष के बाद ही ऐसे गचत बैंक खाते को निष्क्रिय माना जा सकता है।

(viii) ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, जहां ग्राहक ने शेयरों पर लाभांश को बचत बैंक खाते में जमा करने का अधिदेश दिया हो तथा बचत बैंक खाते में अन्य कोई लेनदेन न हो। इसमें कुछ संदेह उत्पन्न हुआ है कि क्या ऐसे खातों को दो वर्ष के बाद निष्क्रिय खाता माना जाना चाहिए या नहीं। इस संबंध में हम स्पष्ट करते हैं कि चूंकि ग्राहक के अधिदेश के अनुसार शेयरों पर लाभांश को बचत बैंक खातों में जमा किया जाता है, अतः इसे ग्राहक की ओर से लेनदेन माना जाना चाहिए। इसलिए, जब तक बचत बैंक खाते में लाभांश जमा होता रहेगा, उसे सक्रिय खाता माना जाना चाहिए। ऐसे बचत बैंक खाते को लाभांश जमा करने की अंतिम प्रविष्टि की तारीख से दो वर्ष के बाद निष्क्रिय खाता माना जा सकता है, बशर्ते उसमें ग्राहक की ओर से कोई अन्य लेनदेन न किए गए हों।

(viii) इसके अलावा निक्रिय खातों का पृथक्करण धोखाधड़ी आदि के जोखिम को कम करने की दृष्टि से किया जा रहा है। तथापि, केवल इस कारण कि किसी ग्राहक का खाता निष्क्रिय माना जा रहा है, उसे किसी भी प्रकार की अस्विधा नहीं होनी चाहिए। एसा वर्गीकरण केवल खाते से ज़् बढ़े जोखिम को संबंधित स्टफ के ध्यान में लाने के लिए किया गया है। धोखाधड़ी को रोकने तथा संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट बनाने, दोनों दृष्टि से इस लेनदेन की उच्चतर स् र पर निगरानी की जानी चाहिए। तथापि, संप्ाौर्ण प्रक्रिया के बारे में ग्राहक को पता नहीं चलना चाहिए।

(ix) ग्राहक की जोखिम श्रेणी के अन्सार उचित सावधानी बरतने के बाद एसे खातों में परिचालन की अन्मति दी जानी चाहिए। यहां उचित सावधानी का अर्थ होगा, लेनदेन की प्रामाणिकता स्निश्चित करना, हस्ताक्षर तथा पहचान का सत्यापन आदि। तथापि, यह स्निश्चित किया जाए कि बैंक द्वारा बरती गई अतिरिक्त सावधानी के कारण ग्राहक को असुविधा नहीं होती है।

(x) निष्क्रिय खाते को पुन: सक्रिय करने का कोई प्रभार नहीं होना चाहिए।

(xi) बैंकों को स्lचित किया जाता है कि वे यह भी स्निश्चित करें कि निष्क्रिय खाता लेजर में पड़ी शेष राशियों की बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षकों/सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सम्चित लेखा परीक्षा की जाती है।

(xii) बचत बैंक खातों में नियमित आधार पर ब्याज की अदायगी की जानी चाहिए चाहे खाता सक्रिय हो अथवा न हो। यदि मीयादी जमा राशि के परिपक् होने पर देय राशि का भ्गतान नहीं होता है तो बैंक के पास पड़ी अदावी राशि पर बचत खाते पर लागू ब्याज दर, लागू होगी।

(xiii) राज्य और केंद्र सरकारों ने केंद्र/राज् सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लिए खोले गए उन खातों में चेक/प्रत्यक्ष लाभ अंतरण/ इलेक् ॉनिक लाभ अंतरण/ छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आदि क्रेडिट करने में कठिनाई व्यक्त की है जो खाते दो वर्षों से अधिक अवधि के लिए परिचालन न होने के कारण निष्क्रिय खाते के रूप में वर्गीकृत कर दिये गये हैं। अत: शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे बैंकों द्वारा खोले गए ऐसे सभी खातों के लिए सीबीएस में एक अलग "उत्पाद कोड" दें ताकि उक्त राशि क्रेडिट करते समय गैर-परिचालन के कारण निष्क्रिय खाते की शर्त लागू न हो। ऐसे खातों में धोखाधड़ी आदि का जोखिम कम करने के लिए, इन खातों में परिचालन के लिए अनुमति देते समय लेन देन की प्रामाणिकता, हस्ताक्षर का सत्यापन तथा पहचान आदि सुनिश्चित करते हुए उचित सावधानी बरती जानी चाहिए। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्राहक को किसी भी प्रकार से कोई असुविधा नहीं हो रही है।

(xiv) ऐसे निष्क्रिय खाते जिनमें न्यूनतम शेष राशि न रखी गई हो, के लिए दंड स्वरूप ब्याज लागाने की अनुमति बैंकों को नहीं है।

5.6 बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि न रखने पर दंडात्मक प्रभार लगाना

दामोदरन समिति की सिफारिशों को ध्यान में लेते हुए तथा ग्राहकों के हित में यह निणर् लिया गया है कि बचत बैंक खाते में न्यूनतम शेष राशि बनाए न रखने के लिए प्रभार वसूल करते समय प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों को दिए गए अतिरिक्त दिशा-निर्देशों का पालन 01 अप्रैल 2015 से प्रभावी होंगा:

(i) बैंक और ग्राहक के बीच सहमति के अनुसार न्यूनतम शेष राशि/औसत न्यूनतम शेष राशि के रख-रखाव में चूक होने पर बैंक को एसएमएस/ई-मेल/पत्र आदि के द्वारा ग्राहक को स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए कि नोटिस की तारीख से एक माह के भीतर खाते में न्यूनतम शेष राशि बहाल नहीं होने पर दंडात्मक प्रभार लागू होगा।

(ii) यदि तर्कसंगत अवधि, जो कमी की नोटिस की तारीख से एक माह से कम नहीं होगी, के भीतर न्यूनतम शेष राशि बहाल नहीं हुई तो खाताधारक को सूचित करते हुए दंडात्मक प्रभार की वसूली की जाएगी।

(iii) इस प्रकार लगाए जाने वाले दंडात्मक प्रभारों के संबंध में नीति का निर्णय बैंक के बोर्ड के अनुमोदन से किया जाना चाहिए।

(iv) दंडात्मक प्रभार पाई गई कमी की मात्रा के प्रत्यक्ष अनुपात में होना चाहिए। दूसरे शब्दों में ये प्रभार रखी गई वास्तविक शेष राशि तथा खाते खोलते समय सहमत न्यूनतम शेष राशि के बीच अंतर की राशि का एक नियत प्रतिशत होना चाहिए। वसूल किये जाने वाले प्रभारों की एक उचित खंड (slab) संरचना को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

(v) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे दंडात्मक प्रभार वाजिब हैं तथा सेवाएं प्रदान करने की औसत लागत के अनुरूप हैं।

(vi) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केवल न्यूनतम शेष राशि बनाए न रखने के लिए प्रभार लगाने के कारण बचत खाते में शेष राशि ऋणात्मक न हो जाए।

5.7 जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, में संशोधन के फलस्वरूप इस अधिनियम में धारा 26क शामिल की गयी है जिसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (निधि) की स्थापना करने के लिए अधिकृत किया गया। तदनुसार, योजना को शासकीय राजपत्र में 24 मई 2014 को अधिसूचित किया गया है, जिसे अनुबंध II में दिया गया है। योजना के पैरा 3(vi) के अनुसार बैंकों से अपेक्षित है कि वे प्रभावी तारीख से पूर्व के दिन, अर्थात् 23 मई 2014 की स्थिति के अनुसार सभी खातों में उपचित ब्याज सहित संचयी शेष की गणना करेंगे तथा ऐसी देय राशियों को 30 जून 2014 को (बैंकिंग घंटों की समाप्ति से पहले) जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि (निधि) में अंतरण किया जाना चाहिए। उसके बाद, जैसाकि योजना के पैरा 3(vii) में उल्लिखित है, बैंकों को चाहिए कि प्रत्येक कैलेंडर माह में देय होने वाली राशियां (अर्थात् दस वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अपरिचालित खातों की राशियां और अदावी शेष राशियां) तथा उस पर उपचित ब्याज अगले महीने के अंतिम कार्यदिवस पर निधि में अंतरित करें, जैसा कि योजना में विनिर्दिष्ट किया गया है। निधि में राशि

जमा किए जाने, भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां आदि के संबंध में विस्तृत अनुदेश अनुबंध ।। (ए) में दिए गए हैं।

5.7 वृद्ध/रु ण/अक्षम ग्राहकों द्वारा बैंक खातों का परिचालन

5.7.1 वृद्ध/रु ण/अक्षम ग्राहकों के अपने बैंक खातों में परिचालन करना सुविधाजनक बनाने के लिए नीचे में दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाए। रु ण/पुराने/अक्षम खाता धारकों के मामले निम्नलिखित श्रेणियों के अंतगर् आएंगे:

(i) कोई खाताधारक जो इतना बीमार हो कि चेक पर हस्ताक्षर न कर सके/अपने बैंक खाते से पैसा आहरित करने के लिए बैंक में सशरीर उपस्थित न हो सके लेकिन चेक/आहरण फॉर्म पर अपने अंगूठे की छाप दे सकता हो, तथा

(ii) ऐसा खाताधारक जो न केवल बैंक में सशरीर उपस्थित होने में असमर्थ है बल्कि कुछ शारीरिक दोष/अक्षमता के कारण चेक/आहरण फॉर्म पर अपने अंगूठे की छाप देने में भी असमर्थ हो।

5.7.2 बैंक निम्ननुसार प्रक्रिया का पालन करें:

(i) जहां बीमार/बूढ़े/अक्षम खाताधारक के अंगूठे या पैर के अंगूठे की छाप प्राप्त की जाती है वहां इस छाप की पहचान बैंक को ज्ञात दो गवाहों द्वारा की जानी चाहिए जिनमें से एक बैंक का जिम्मेदार अधिकारी हो।

(ii) जहां ग्राहक अपने अंगूठे की छाप भी नहीं दे सकता और बैंक में सशरीर उपस्थित भी नहीं हो सकता हो तो चेक/आहरण फॉर्म पर एक निशान लेनी चाहिए जिसकी पहचान दो स् तंत्र गवाहों द्वारा होनी चाहिए जिनमें से एक बैंक का जिम्मेदा अधिकारी हो।

5.7.3 इस प्रकार के मामलों में ग्राहक से कहा जाय कि वह बैंक को यह सूचित करे कि उपर्युक् प्रकार से प्राप्त किए गए चेक/आहरण फॉर्म के आधार पर बैंक से आहरण कौन प्राप्त करेगा तथा उस व्यक्ति की पहचान दो स् तंत्र ग़वाहों से की जानी चाहिए। जो व्यक्ति बैंक से वास्तव में धन का आहरण कर रहा है उससे बैंक को अपना हस्ताक्षर प्रस् ुत के लिए कहा जाना चाहिए।

5.7.4 इस संदर्भ में किसी ऐसी व्यक्ति का बैंक खाता खोलने के प्र पर जिसके दोनों हाथ न हों तथा जो चेक/आहरण फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता हो, भारतीय बैंक संघ द्वारा उसके सलाहकार से प्राप्त एक मत के अनुसार जिस व्यक्ति को हस्ताक्षर करने हों तथा दस् ावेज पर किए गए हस्ताक्षर एवं निशान के बीच भौतिक संपर्क होना चाहिए। इसलिए, ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसने अपने दोनों हाथ गवाँ दिए हों, हस्ताक्षर किसी निशान के द्वारा किए जा सकते हैं। यह निशान व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार से लगाया जा सकता है । यह पैर के अंगूठे की छाप हो सकता है जैसा

बताया गया है । यह किसी ऐसे निशान द्वारा किए जा सकते हैं जो उस व्यक्ति की तरफ़ से किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसे हस्ताक्षर करने हैं, लेकिन किसी लिखत द्वारा दिया गया निशान का उस व्यक्ति के साथ भौतिक संपर्क हो जिसे हस्ताक्षर करने हैं।

5.7.5 **मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 तथा स्वपरायणता(आटिज़्म), मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मन्दन तथा बहुविध अक्षमता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी कानूनी अभिभावक प्रमाणपत्र**

(i) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 में एक ऐसे कानून का प्रावधान किया गया है जो मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ि ों के उपचार और देखभाल करने तथा उनकी संपत्तियों व अन्य मामलों के संबंध में बेहतर प्रावधान करने से संबंधित है। उक्त अधिनियम के अंतगर्, "मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ि " का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे मानसिक मन्दन को छोड़कर किसी अन्य मानसिक रुग्णता के लिए उपचार की आवश्यकता है। इस अधिनियम की धारा 53 और 54 में मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए अभिभावकों तथा कतिपय मामलों में उनकी संपत्ति के लिए प्रबंधकों की नियुक्ति करने का प्रा ान है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अंतर्गत निधास्रत नियोक्ता प्राधिकारी जिला न्यायालय और जिलाधिकारी हैं।

(ii) स्वपरायणता, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मन्दन तथा बहुविध अक्षमता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 में कतिपय विनिर्दिष्ट विकलांगताओं से संबंधित कानून का प्रावधान है। उस अधिनियम की धारा 2 के खंड (जे) में "विकलांग व्यक्ति" की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में दी गई है जो स्वपरायणता, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मन्दन या किन्हीं ऐसे दो या अधिक रुग्णताओं से पीडित है और इसमें बहुविध अक्षमता से पीडित व्यक्ति भी शामिल है। यह अधिनियम एक स्थानीय स्तर समिति को शक्ति प्रदान करता है कि वह विकलांग व्यक्ति के लिए ऐसे अभिभावक की नियुक्ति कर सके जो उस अक्षमता वाले व्यक्ति और उसकी संपत्तियों की देखभाल कर सकेगा।

बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि उनकी शाखाएं अपंग व्यक्तियों के माता-पिता/रिश्`दारों को सही मागर्शर् दें ताकि उन्ें इस संबंध में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

5.8 विदेशी सहयोग (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतगर् विभिन्न संघों/संगठनों द्वारा विदेशी सहयोग की प्राप्ति

5.8.1 विदेशी सहयोग अधिनियम (विनियमन) अधिनियम के अनुसार यह आवश्यक है कि निश्चित सांस्ृतिक, आथिर्, शैक्षणिक, धामिर् तथा सामाजिक कार्यक्रम वाले विदेशी सहयोग प्राप्त करने वाले संघों को स् यं को गृह मंत्रालय, भारत सरकार में पंजीकृत करवाना चाहिए तथा विदेशी सहयोग किसी बैंक की केवल उसी शाखा

के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए जिसका उल्लेख संघ ने गृह मंत्रालय में पंजीकरण हेतु अपने आवेदन में किया हो।

5.8.2 इसके अतिरिक्त, अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि धारा (6) की उप-धारा (1) में उल्लिखित प्रत्येक संघ, यदि वह केंद्र सरकार में पंजीकृत नहीं है, केवल केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त होने के बाद ही कोई विदेशी सहयोग स्वीकार कर सकते हैं ।

5.8.3 राजनीतिक प्रकार के कुछ संगठन हैं जो राजनीतिक दल (उनकी शाखाओं/यूनिटों सहित) न होते हुए भी केंद्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5 (i) के अंतगर् उल्लिखित हैं। इन संगठनों के लिए किसी विदेशी सहयोग को प्राप्त करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इस संबंध में बैंकों को निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए:

(i) विदेशी सहयोग दशार्नवाले चेकों/ड्राफ् ों की राशि को जमा करना बशर्ते संघ गृह मंत्रालय, भारत सरकार में पंजीकृत हो।

(ii) गृह मंत्रालय से प्राप्त किसी सूचना को प्रस् ुत करने का आग्रह करना जिसमें संघ के विदेशी सहयोग (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतगर् पंजीकृत न होने की स्थिति में विदेशी सहयोग की एक विशेष राशि की स्वीकृति हेतु केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति दी गई हो।

(iii) इस प्रकार के संघों के खाते में जमा दर्ज न करना जो विदेशी सहयोग (विनियमन) अधिनियम 1976 के अंतगर् विदेशी सहयोग स्वीकार करने के प्रयोजन के लिए गृह मंत्रालय में अलग से पंजीकृत नहीं हैं।

(iv) इस प्रकार के संघों के खाते में जमा दर्ज न करना जिन् ें केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही विदेशी सहयोग प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

(v) राजनीतिक प्रकार के संगठनों, जो राजनीतिक दल (उनकी शाखाओं तथा यूनिटों सहित) नहीं हैं, को तब तक चेकों/ड्राफ् ों आदि की राशि को जमा दर्ज करने की अनुमति नहीं देना जब तक विदेशी सहयोग (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतगर् इस प्रकार के संगठन केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति वाला पत्र प्रस् ुत न कर दें।

(vi) गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न संगठनों को भेजी गई पंजीकरण संख्य को संबंधित रेकार्डों विशेष रु से बहियों के पृष्ठों में दर्ज करना जिनमें यह सुनिश्चित करने के लिए संगठनों के विदेशी सहयोग खाते रखे गए हैं कि इस प्रकार के संगठनों का अवांछित उत्पीड़न न हो।

(vii) यदि किसी चेक/मांग ड्राफ् को इसके राशि की वसूली के लिए बैंक में प्रस् ुत किया गया हो तथा ऐसे संघ या संगठन द्वारा किसी संघ/संगठन के खाते में जमा दर्ज किया गया हो जो पंजीकृत नहीं है या जिसके लिए पूर्व अनुमति आवश्यक हो, जैसा भी मामला हो, तो बैंक की संबंधित शाखा आगे के अनुदेशों के लिए गृह मंत्रालय से संपर्क करे।

किसी भी स्थिति में बैंकों को राजनीतिक प्रकार के संघ/संगठन, जो राजनीतिक दल नहीं है तथा किसी अपंजीकृत संगठन, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निधा्रत किया गया है के खाते में जमा दर्ज नहीं करना चाहिए जब तक कि संघ/संगठन गृह मंत्रालय का कोई पत्र प्रस्ुत नहीं करता जिसमें विदेशी सहयोग स्वीकार करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति न दी गई हो।

(viii) जहां पूर्व अनुमति मंजूर कर ली गई हो, इस प्रकार की अनुमति केवल विदेशी सहयोग की निश्चित राशि स्वीकार करने के लिए है जिसका उल्लेख संबंधित पत्र में किया जाएगा। गृह मंत्रालय बैंक की सबंधित शाखा को प्रत्येक संघ/संगठन के पंजीकरण आदेश या पूर्व अनुमति की प्रति एक समान रु से परांकित कर रहा है जिसके माध्यम से विदेशी सहयोग संघों/संगठनों के खाते में जमा करने के लिए प्राप्त किया जाना है।

5.8.4 उपर्युक् प्रयोजन के लिए बैंक के भीतर ही समुचित प्रणालियां विकसित की जाएं ताकि इन अनुदेशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके तथा ग़ैर-अनुपालन की घटनाओं को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। इस प्रकार विकसित प्रणाली की सूचना उचित कायार्वयन तथा सख्त अनुपालन के लिए बैंक की सभी शाखाओं को दी जानी चाहिए तथा प्रधान कार्यालय के स् र पर उसकी प्रभावी निगरानी की जानी चाहिए ।

5.8.5 गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंकों द्वारा विदेशी अंशदान प्राप्ति की ऑन-लाईन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि सॉफ् वेयर के माध्यम से रिपोर्ट की ऑन-लाईन प्रस्तुति 31 अक्तूबर 2013 तक वैकल्पिक होगी। तथापि, 1 नवंबर 2013 से रिपोर्ट की ऑन-लाईन प्रस्तुति अनिवार्य होगी। शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे एफसीआरए रिपोर्टिंग के संबंध में http://mha1.nic.in/fcra.htm वेबसाईट का एक्सेस करें तथा यूसरगाईड के लिए http://mha1.nic.in/pdfs/USERGuideBank-270813.pdf. का एक्सेस करें।

5.8.6 इन अनुदेशों का पालन न करना कथित अधिनियम के उपबंधों का उल् ंघन होगा। निर्धारित विवरणी समय पर भारत सरकार को न प्रस्ुत करने के मामले को भी बहुत गंभीरता से लिया जाएगा ।

6. दिवंगत जमाकर्ताओं से संबंधित दावों का निपटान

शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि अपनी सभी शाखाओं को अनुदेश दिया जाए कि दिवंगत जमाकर्ताओं के दावों के झंझट-रहित त् रित भुगतान के लिए वर्तमान अनुदेशों का पालन किया जाए। मृत जमाकतार् के संबंध में दावों का समय पर सहज रू से निपटान सुनिश्चि करने की दृ ष्ट से मृत जमाकर्ताओं के खाते (तों) के संबंध में दावे का फॉर्म उक्त प्रयोजन के लिए बैंक/ शाखाओं से संपर्क करने वाले किसी व्यित/ यों को उपलब् कराने के लिए बैंकों को सूचित किया जाता है। शहरी सहकारी बैंक जिनके पास अपनी वेबसाईट है, वे दावा फॉर्म अपनी वेबसाईट में प्रकट रूप में डाल दें ताकि मृत जमाकतार् के दावेदार बैंक के समक्ष

दावा प्रस्तुत करने के लिए फॉर्म प्राप्त करने हेतु संबंधित बैंक/ शाखा में गए बिना उसे वेबसाईट पर देखकर डाऊनलोड कर सकें।

दिवंगत जमाकर्ताओं के दावों के झंझट-रहित त् रित भुगतान के लिए निम्नलिखित अनुदेशों का पालन किया जाए।

जमाखाते की शेष राशि तक पहुंच

6.1 जीवित जमाकर्ता/नामिती उपबंध वाले खाते

यदि जमाकर्ता ने खाता खोलते वक् नामांकन सुविधा का लाभ उठाया हो और खाता खोलते वक् जीवित खाताधारक उपबंध (`जीवित या दोनो' या `जीवित या इनमें से कोई', या `पहला या जीवित', या `बाद वाला या जीवित') के रू में वैध नामांकन किया हो तो दिवंगत के जमाखाते के जीवित/नामंकिती के जमा खाते में शेष राशि बैंक अंतरित कर सकता है <u>बशर्ते:</u>

(ए) जीवित/नामंकिती की पहचान के बारे मे बैंक ने दस् ावेजी सुबूतों से पूरे ध्यान और सावधानी के साथ जांच कर ली हो;

(बी) किसी भी सक्षम न्यायालय ने दिवंगत के खाते से भुगतान करने पर बैंक पर कोई रोक न लगाई हा; और;

(सी) जो जीवित/नामांकिती बैंक से भगतान प्राप्त करे उसे स्पष्ट रू से बता दिया जाए कि वह दिवंगत के कानूनी वारिसों के लिए ट्रस्टी का कार्य करेगा, अर्थात इस भुगतान से उन व्यक्तियों के दावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जिनका जीवित/नामांकिती के प्रति कोई दावा बनता है।

6.2 यहां यह ध्यान देने योग्य है कि निर्धारित शर्तों के अधीन यदि बैंक जीवित/नामंकिती को भुगतान कर देता है तो इससे बैंक की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। वैधानिक प्रतिवेदन की मांग अवांछित और बेमानी है और इससे जीवित/नामांकिती की परेशानियां बढ़ेंगी ही और इसे गंभीर पर्यावेक्षणात्मक त्रुटि के रू में देखा जाएगा। दिवंगत जमाकर्ता के जीवित/नामांकिती से बैंक को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, वसीयत पत्र इत् ादि की मांग पर जोर नहीं देना चाहिए और न ही जीवित/नामांकिती से किसी प्रकार का इंडेमिनिटी बांड या जमानत की मांग नहीं करनी चाहिए चाहे दिवंगत जमाकर्ता के खाते में कितनी भी राशि हो।

6.3 जीवित जमाकर्ता/नामिती उपबंध रहित खाते

जिन मामलों में दिवंगत जमाकर्ता ने खाता में `जीवित या इनमें से कोई भी' (जैसे कि एकल या संयुक् खाते में होता है) वाली स्थिति अपनाई हो तो उस स्थिति के लिए बैंकों को सूचित लिया जाता है कि वे जमाकर्ता के कानूनी वारिसों को राशि चुकाने के लिए

सरल प्रक्रिया अपनाएं। ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जनसाधारण को कम से कम परेशानी हो। इसके मद्दे र बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को ध्यान में रखकर एक ऐसी सीमा निधा्रत कर लें जिस तक दिवंगत जमाकर्ता के दावे क्षतिपूर्ति पत्र के अलावा किसी अन्य दस्तावेज को दिखाए भी निपटाए जा सकें।

6.4 मीयादी जमा खाते का समय-पूर्व समापन

i. 'दोनों खाताधारकों में से कोई एक अथवा उत्तरजीवी' अथवा 'दोनों खाताधारकों में से पर खाताधारक अथवा उत्तरजीवी' अधिदेश वाली सावधि/मीयादी जमाराशियों के मामले में शहरी सहकारी बैंक एक जमाकर्ता की मृत् के बाद उत्तरजीवी संयुक् जमाकर्ता द्वारा जमाराशि के अवधिपूर्ण आहरण की अनुमति दे सकते हैं लेकिन केवल उसी स्थिति में जब संयुक् जमाकर्ताओं की ओर से इस आशय का संयुक् अधिदेश हो।

ii. जिन शहरी सहकारी बैंकों ने न तो खाता खोलने वाले फार्म में इस वाक् ांश को शामिल किया है और न ग्राहकों को ही इस प्रकार के अधिदेश की सुविधा के बारे में जागरूक बनाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं, 'उत्तरजीवी' जमा खाताधारक (धारकों) को अनावश्यक असुविधा होती है । अतः शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे पूर्वोक् वाक् ांश को खाता खोलने वाले फार्म में अनिवार्य रू से शामिल करें और अपने मौजूदा एवं भावी सावधि जमाकर्ताओं को इस प्रकार के विकल्प की उपलब्धता के बारे में सूचित भी करें।

iii. संयुक् जमाकर्ताओं को मीयादी जमा करते समय या बाद में जमा की मीयाद/अवधि के दौरान किसी भी समय उक्त अधिदेश देने की अनुमति दी जा सकती है। यदि ऐसा अधिदेश लिया जाता है, तो बैंक मृतक संयुक् जमा धारक के कानूनी वारिसों की सहमति मांगे बिना ही उत्तरजीवी जमाकर्ता द्वारा मियादी/ सावधि जमा के परिपक् तापूर्ण आहरण की अनुमति दे सकते हैं । इस प्रकार के परिपक् तापूर्ण आहरण पर किसी प्रकार का दंडात्मक प्रभार नहीं लगेगा ।

6.5 दिवंगत जमाकर्ता के नाम आनेवाले आगम का निपटान

जमा खाते के जीवित बचे खातेदार (खातेदारों)/नामिती के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए बैंकों को सूचित किया जाता है कि दिवंगत खातेदार के नाम आनेवाले आगमों के निपटान के लिए वे जीवित बचे खातेदार (खातेदारों)/नामिती से समुचित करार/अनुमति पत्र प्राप्त कर लें। इस बारे में बैंक इन दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं:

- बैंक दिवंगत खातेदार के जीवित बचे खातेदार (खातेदारों)/नामिती से `दिवंगत श्री/श्रीमती-------- की संपत्ति' के रू   में खाता खोलने के लिए एक अधिकार पत्र हासिल कर सकते हैं ताकि दिवंगत खातेदार के नाम से आनेवाले सारे आगमों को इसमे जमा किया जा सके। मगर इसमें एक शर्त यह होगी कि आहरण न किया जाए।

या

- जीवित बचे खातेदार /नामिती बैंक को इस बात के लिए अधिकृत कर सकते हैं कि आनेवाले आगम को `दिवंगत खाताधारक' की टिप्पणी के साथ प्राप्त करें और जीवित बचे खातेदार /नामिती को तदनुसार सूचित किया जाए। तत्पश्चात, जीवित बचे खातेदार /नामिती/कानूनी वारिस विप्रेषक के पास जाकर उचित लाभग्राही के नाम पराक्रम्य लिखत या ई सी एस अंतरण के माध्यम से प्राप्त करें।

6.6 सुरक्षित जमा लॉकर/सुरिक्षित हिफाज़त में रखी वस्ुओं तक पहुंच

लॉकर किराए पर लेने वाले/ सुरक्षित हिफाज़त में वस्तुएं रखने वाले दिवंगत के नामितियों (यदि ऐसा नामंकन किया गया है तो) या दिवंगत के उन उत्तरजीवियों (जिस स्थिति में लॉकर /सुरक्षित हिफाज़त में रखी वस्ुओं वस्तुएं तक पहुंच उत्तरजीविता के उपबंध से निदेशित होती हो) की लॉकर के किराएदार/सुरक्षित हिफाज़त में रखने वाले की मृत्ु के बाद पहुंच बनाने के लिए बैंकों को सामान्यत: वही रु   अख्तियार करने की सलाह दी जाती है जैसा कि जमा खाते के लिए बताया गया है। तथापि, इस बारे में विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

6.7 दावों के निपटान के लिए समयसीमा

बैंकों को सूचित किया जाता है कि दिवंगत जमाकर्ता से संबंधित दावों का निपटान जमाकर्ता की मृत्ु का प्रमाणपत्र तथा दावे की उपयुक् निशानदेही के पश्चा <u>उत्तरजीवियों/नामितियों को इसका भुगतान 15 दिन की अवधि के अंदर कर दिया जाए</u> मगर पहले बैंक को इन दस्ावेजों से संतुष्ट होना आवश्यक है। दिवंगत जमाकर्ताओं/लॉकर किराए पर लेने वालों/सुरक्षित हिफाजत में वस्तुएं रखने वाले दिवंगतों के बारे में तथा जो मामले निर्धारित समय के बाद भी नहीं निपटाए जा सके उनके कारण बताते हुए बैंक अपने निदेशक मंड़ल की ग्राहक सेवा समिति को उचित अंतरालों, अनवरत आधार पर सूचित करते रहें।

6.8 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के प्रावधान

इस बारे में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के सात पठित धारा 45 ज़ेड ए से 45 जेड़ एफ तथा सहकारी बैंक (नामांकन) नियम, 1985 के प्रावधानों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

6.9 ग्राहकों को सलाह तथा प्रचार

बैंकों को सूचित कि या जाता है कि वे नामांकन सुविधा तथा उत्तरजीविता उपबंधों के बारे में जमा खाता धारकों में प्रचार-प्रसार करें तथा इस बारे में उन्‍ सलाह-मशविरा दें। उदाहरणार्थ, प्रचार साहित्य में इस बात को उजागर किया जाए कि उत्तरजीविता उपबंध के बिना अपने आप ही उत्तरजीवी खाताधारक को जमा राशि प्राप्त करने का हक हासिल नहीं हो जाएगा।

7. गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान

गुमशुदा व्‍य क्‍तयों के मामले में दावे के निपटान हेतु नामिती / कानूनी वारिसों से प्राप्त दावों पर बैंक निम्‍न लखित प्रणाली का अनुसरण करें।

(ए) गुमशुदा व्यक्तियों के मामले में दावों का निपटान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 107/108 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। धारा 107 गुमशुदा व्यक्ति के जीवित होने तथा धारा 108 उसकी मृत्‍ु की परिकल्पना पर आधारित है। भारतीय सक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार मृत्‍ु की परिकल्पना का मामला गुमशुदा व्यक्ति के खोने की सूचना से सात वर्ष बीत जाने के बाद ही उठाया जा सकता है। अत:, नामिती / कानूनी वारिसों को अभिदाता की मृत्‍ु हो जाने की सुव्यक्त परिकल्पना का मामला किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 107/108 के अंतगर्‍ उठाना होगा। यदि न्यायालय यह मान लेता है कि गुमशुदा व्यक्ति की मृत्‍ु हो गयी है तब उस आधार पर गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में दावे का निपटान किया जा सकता है।

(बी) बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे एक नीति निर्धारित करें जिससे वे कानूनी राय पर विचार कर तथा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में दावों का निपटान कर सकें। इसके अलावा, आम आदमी को असुविधा और अनुचित कठिनाई से बचाने के लिए बैंकों को सूचित किया जाता है कि अपनी जोखिम प्रबंध प्रणाली को ध्यान में रखते हुए वे एक ऐसी उच्चतम सीमा निर्धारित कर सकते हैं, जिसके अधीन वे (i) एफआईआर तथा पुलिस प्राधिकारियों द्‍वारा जारी लापता रिपोर्ट तथा (ii) क्षतिपूर्ति पत्र के अलावा किसी अन्‍ दस्तावेज की प्रस्तुति पर जोर दिये बिना गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान कर सकते हैं।

(सी) भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने 16 अगस्त 2013 के परिपत्र एफ. सं. 1/2 (उत्तराखंड)/2011-वीएस-सीआरएस (एमएचए परिपत्र) द्वारा जून 14-20 के दौरान उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में गुमशुदा लोगों की मृत्यु को पंजीकृत करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित की है। शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे एमएचए परिपत्र के दायरे में आने वाले गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान करते समय (i) एमएचए परिपत्र के अंतर्गत पदनामित अधिकारी द्वारा जारी 'मृत्यु प्रमाण पत्र' और (ii) क्षतिपूर्ति-पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य दस् ावेज का आग्रह न करें।

(डी) शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि अनुच्छेद (ए) और (बी) में बताए गए अनुदेश अन्य मामलों पर लागू होंगे जो एमएचए परिपत्र के दायरे में नहीं आते हैं।

8. जमा संग्रह

8.1 जमा संग्रह एजेंट

8.1.1 बैंकों के लिए जमा राशियों पर किसी रु में दलाली का भुगतान किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, संस् ान या अन् किसी व्यक्ति को करना प्रतिबंधित है ।

8.1.2 बैंकों को अनिवासी जमाओं सहित जमाओं के संग्रह या भारतीय रिज़र्व बैंक के ब्याज दर निदेशों के अन्तगर् अनुमत सीमा के अतिरिक्त शुल् /कमीशन के भुगतान पर उत्पाद संबंधित अन्य किसी जमा को किसी रु में या किसी प्रकार से बेचने के लिए फर्मो/कंपनियों के माध्यम से भी बाहरी व्यक्तियों को नियोजित/संबद्ध नहीं करना चाहिए।

8.2 "बैंक गारंटियों" सहित अनिगमित निकायों/प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से जमा स्वीकार करना

बैंकों को किसी समझौते के तहत निजी वित् प्रदाताओं अथवा अनिगमित निकायों के आग्रह पर जमा राशि स्वीकार नहीं करनी चाहिए जिसके तहत निजी वित् प्रदाताओं के ग्राहकों के पक्ष में या तो जमा रसीद जारी करनी पड़ सकती है या मुख्त र नामा, नामांकन द्वारा अन् था ऐसे ग्राहकों को परिपक् ता पर राशि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करना पड़ सकता है ।

8.3 निजी संगठनों द्वारा शुरु की गई जमा संग्रह योजनाएं

यह नोट किया जाए कि प्राइज चिट्स तथा धन परिचालन योजनाएं (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 (1978 की सं. 43) ने संबंधित राज् सरकारों द्वारा उस संबंध में अधिसूचित धर्मार्थ तथा शैक्षणिक संस् ाओं को छोड़कर प्राइज चिट योजना को बढ़ावा देने और उसके संचलन पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। लॉटरी उपयुर्त अधिनियम के अंतगर् "प्राइज चिट" के अंतगर् आती है। इसके अतिरिक्त, बैंक काउंटरों पर लॉटरी टिकटों की बिक्री से दुरु योग हो सकता है तथा जनता ने इसकी परिहार्य शिकायतें की

हैं। इसलिए, बैंकों को किसी प्रकार के संगठनों की लॉटरी योजनाओं से प्रत् क्ष या परोक्ष रु से स् यं को संबद्ध नहीं करना चाहिए ।

9 बैंकिंग प्रणाली तथा आय कर प्राधिकारियों के बीच अधिकाधिक समन्वय

9.1 सुरक्षित जमा लॉकर

बैंकों को सभी लॉकर चाबियों पर एक पहचान कूट उत्ीर्ण करना चाहिए ताकि आयकर अधिकारियों द्वारा लॉकर चाबियों की पहचान करना सुविधाजनक हो तथा यह कूट बैंक तथा शाखा को दर्शाएगा जिसने लॉकर किराए पर दिया है। पहले से ही किराए पर दिए गए लाकर की चाबियों पर, अनुदेशों के अनुसार अनुपालन धकरने मे आनेवाली व्यावहारिक कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव है कि जब लाकर के परिचालन के लिए व्यक्ति बैंक मे आते हैं तब उस चाबी पर परिचय कूट अंकित किया जाए। इस प्रयोजन के लिए लाकर के विक्रेता कंपनी की सहायता ले। संबंधित शाखा अपने लाकर के सभी ग्राहकों को लाकर चाबियों के अंकन के संबंध मे सूचना दे। कृपया यह सुनिश्चित करे कि केवल लाकर ग्राहक की उपस्थिति मे ही परिचय कूट अंकित किया जाता है ।

9.2 केंद्रीय प्रत् क्ष कर बोर्ड के अधिकारियों के साथ समन्वय

आयकर विभाग तथा बैंकिंग प्रणाली के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता है। इस प्रकार बैंक यह सुनिश्चित करें कि वे जब भी आवश्यक हो, कर अधिकारियों को आवश्यक सहायता/समन्वय प्रदान करते हैं। इसके व्यतिरिक्त बैंकों को उन मामलों पर गहराई से विचार करना चाहिए जहां उनके स्टफ ने आयकर अधिनियम के अंतगर् दंडनीय अपराधों की किसी प्रकार अनदेखी की है/उनमें सहायता की है। इस प्रकार के मामलों में सामान्य दंडनीय कार्रवाई के अलावा इस प्रकार के स्टफ सदस्य के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जानी चाहिए।

10. "अपने ग्राहक को जानिए" संबंधी दिशा निर्देश तथा धन शोधन निवारण मानक

केवाईसी और एमएमएल मानकों से संबंधित दिशा निर्देश को 'अपने ग्राहक को जानिए मानदंड' / 'धनशोधन निवारण मानक'/ 'आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध' (सीएफटी) / धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित् पर 1 जुलाई 2014 को जारी किए गए मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है।

अनुबंध **1**

मास्ट परिपत्र

<u>जमा खाता रखना</u>

संयुक् खाते - `कोई एक या जीवित नामिति', `उत्तरवर्ती या जीवित नामिति'

<u>`पूर्ववर्ती या जीवित नामिति', आदि</u>

[संदर्भ पैरा 5.1.1]

एलएसी/19-96-29 28 अगस्त 1980

सभी सदस् बैंकों के मुख् कार्यपालक

महोदय/महोदया

संयुक् खाता `कोई एक या जीवित नामिति',

<u>`उत्तरवर्ती या जीवित नामिति' `पूर्ववर्ती या जीवित नामिति' आदि</u>

हाल ही के समय में, अखबारों में बहुत सारे ऐसे पत्र छपे हैं जो बचत बैंक या मीयादी जमा खातों, विशेष रु से परिपक् ता से पहले भुगतान या एक खाता धारक की मृत्ु हो जाने पर दावों के निपटान के संबंध में, के संयुक् खाताधारकों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को प्रमुखता से प्रदशिर् करते हैं । इस प्रकार के खातों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा `कोई एक या जीवित नामिति', `उत्तरवर्ती या जीवित नामिति`, पूर्ववर्ती या जीवित नामिति' आदि शब्दों के वैधानिक प्रभावों के बारे में कुछ उलझ् तथा गलतफ़हमी प्रतीत होती है ।

2. संयुक् खाते

दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम से संयुक् खातों (चालू बचत या जमा) के मामले में उससे संबंधित शर्तों में किसी एक खातेदार की मृत्यु की स्थिति में जीवित नामिति (यों) को खाते में शेष राशि के भुगतान के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क् ोंकि बैंकों को वैध भुगतान दिवंगत संयुक् खाता धारक के जीवित नामिति (यों) तथा कानूनी उत् राधिकारियों को संयुक् रु से करना चाहिए । इस प्रकार के मामले में कौन दिवंगत खाताधारक का कानूनी उत्तराधिकारी है के बारे में निशि्च निधार्ण करने में कठिनाई की दृष्टि से बैंकों में यह चलन है कि दावा का निपटान करने से पहले वे वैधानिक आवेदन (दिवंगत खाताधारक की भू-संपत्ति के संबंध में) प्रस्ुत करने का आग्रह करते हैं । चूँकि वैधानिक आवेदन की मंजूरी प्राप्त होने में विलंब और व्यय होता है इसलिए बैंक को

(क) किसी एक या जीवित नामिति, (ख) पूर्ववर्त्ती/उत्तरवर्ती या जीवित नामिति, (ग) कोई या जीवित नामिति, या जीवित नामिति, आदि को देय जैसी शर्तों पर संयुक्त खाते खोलने को प्रोत्साहित करना चाहिए । बैंकों में ग्राहक सेवा पर कायर्ल की सिफ़ारिश सं. 6 में इस बिन्ु पर बल दिया गया है ।

3. जीवित नामिति होने के लाभ

यदि जीवित नामिति का लाभ प्रदान किया जाता है तो जीवित नामिति बैंक को एक वैध विमोचन दे सकता है। यदि जीवित उत्तराधिकारी को भुगतान से बैंक को एक वैध विमोचन प्राप्त होता है फिर भी जब तक वह खाते में शेष का एक मात्र लाभार्थी स्वामी या दिवंगत खातेदार का एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी न हो, वह कानूनी उत्तराधिकारियों (जिसमें जीवित नामिति भी शामिल हो सकता है) के लिए न्यासी के रु में ही उस धन को रख सकता है । इस प्रकार, जब तक वह खाते में शेष का एक मात्र स्वामी/दिवंगत खातेदार का एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है तब तक जीवित नामिति का अधिकार केवल बैंक से धन संग्रह करने का अधिकार है । यदि दिवंगत खातेदार के कानूनी उत्तराधिकारी बैंक में शेष धन राशि के लिए दावा करते हैं तो उन्ें सूचित करना चाहिए कि खाते पर लागू संविदा की शर्तों के अनुसार बैंक से भुगतान प्राप्त करने का अधिकार जीवित नामिति को है तथा जब तक किसी सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा बैंक को प्रतिबंधित नहीं किया जाता तब तक बैंक को जीवित नामितियों (खाते में जिनके नाम हैं) को भुगतान करने का अधिकार होगा । संक्षेप में स्थिति यह है कि यदि सक्षम न्यायालय कोई आदेश बैंक को इस प्रकार के भुगतान करने से प्रतिबंधित नहीं करता तब तक जीवित नामिति को भुगतान किया जा सकता है।

4. संयुक् बचत बैंक खाता - कोई एक या जीवित नामिति/ कोई या जीवित नामितियां या जीवित नामिति

जैसा कि उपर्युक् पैरा 3 में बताया गया है, जीवित नामिति बैंक को वैध विमोचन दे सकता है । यदि कानूनी उत् राधिकारी धन राशि के लिए दावा करते हैं तो बैंक उन्ें सूचित करे कि जब तक उन्ें किसी सक्षम न्यायालय का कोई आदेश नहीं मिला है और उसे बैंक को नहीं दिया गया है जिसमें जीवित नामिति को भुगतान करने से बैंक को प्रतिबंधित किया गया हो तब तक बैंक को ऐसा करने का अधिकार होगा ।

5. संयुक् सावधि जमा खाता - किसी एक खाताधारक की मृत्ु हो जाने पर समयपूर्व भुगतान या ऋण

5.1 कोई एक या जीवित नामिति' या `कोई या जीवित नामितियां या जीवित नामिति'

किसी संयुक् सावधि जमा खाता जो कोई एक या जीवित नामिति/कोई या जीवित नामितियां या जीवित नामिति के रु में खोला गया है, बैंक को प्राय: किसी एक संयुक् खाता धारक की मृत्ु के बाद जीवित जमाकर्ताओं से समयपूर्व नकदीकरण या सावधि जमा प्राप्ति पर ऋण की मंजूरी की अनुमति के लिए अनुरोध प्राप्त होता है । समयपूर्व भुगतान के लिए जीवित जमाकर्ताओं के अनुरोध को स्वीकार करना उचित होगा यदि (i) जमा की संविदा में परिपक् ता से पूर्व भुगतान करने का विकल्प शामिल हो तथा (ii) मूल जमाकर्ताओं से "कोई एक/कोई या जीवित नामिति का अधिकार" का आदेश प्राप्त हो गया हो । जीवित जमाकर्ताओं से ऋणों के लिए अनुरोधों पर भी विचार विशेष मामलों में किया जा सकता है हालांकि इस प्रकार के ऋणों के मामले में बैंक के सामने एक संभावित जोख़िम आ सकता है, यदि जमा राशि का भुगतान परिपक् ता पर किए जाने से पहले

दिवंगत जमाकर्ता के कानूनी प्रतिनिधि जमाराशि के लिए प्रभावी दावा करते हैं । इस स्थिति में, बैंक को पुनर्भुगतान के लिए उधारकर्ता (ओं) की तलाश करनी होगी । समयपूर्व भुगतान या ऋण की मंजूरी की यह स्थिति किसी संयुक् खाता (कोई एक या जीवित नामिति/कोई या जीवित नामितियां या जीवित नामिति) के संबंध में भी लागू होगी जहां सभी खाताधारक जीवित हों ।

परिचालनात्मक विवेक के रु में इस संबंध में कि ऋण/समयपूर्व भुगतान जमाकर्ताओं में से कोई एक/कोई को जमा अवधि के दौरान किसी समय किया जा सकता है तथापि एक अनुच्छेद सावधि जमा संविदा अर्थात् खाता खोलने या आवेदन पत्र में नीचे पैरा 6 में दशार् गई विधि से शामिल किया जा सकता है ।

5.1 संयुक् सावधि जमा - पूर्ववर्ती या जीवित नामिति/उत्तरवर्ती या जीवित नामिति आदि इन सावधि जमाओं के मामले में, स्वामी जमाकर्ता (पूर्ववर्ती/उत्तरवर्ती) का इरादा केवल जीवित नामिति को उसकी (जमाकर्ता) मृत्ु की स्थिति में पुनर्भुगतान को सुविधाजनक बनाना है । वह (स्वामी जमाकर्ता) अपनी मृत्ु या जमा प्राप्तियों की परिपक् ता, जो भी पहले हो, होने तक सभी धन का निपटान करने का अधिकार सभी समय अपने पास रखने की स्थिति में है । इसलिए बैंकों को पूर्ववर्ती/उत्तरवर्ती के अनुरोध पर इस प्रकार की जमा के समयपूर्व भुगतान या उन पर अग्रिम मंजूर करने की अनुमति सावधि जमा प्राप्ति के अन् पक्ष/पक्षों से सहमति पत्र प्रस्ुत करने का आग्रह करने के बिना देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । यहां सावधि जमा खाता खोलने या आवेदन पत्र में समुचित अनुच्छेद जोड़कर संयुक् खातेदारों के लिए इस स्थिति को स्पष्ट बनाने को भी तरजीह देना है ।

6. सावधि जमा प्राप्ति के लिए आवेदन/खाता खोलने के फॉर्म में विशेष शर्त

बैंक सावधि जमा की संविदा स्थापित करने वाले खाता खोलने वाले फॉर्म/आवेदन फॉर्म में निम्नलिखित आशय की एक शर्त जोड़ने पर विचार करें :

"बैंक श्री -----------से लिखित आवेदन प्राप्त होने पर पूवर्र्ती/उत्तरवर्ती/हमारे प्र नाम/द्वितीय नाम आदि

या हमारे कोई एक या जीवित नामिति, हमारे कोई या जीवित नामितियों का जीवित नामिति, पूर्ण विवेकाधिकार तथा बैंक द्वारा निधार्रत शर्तों एवं निबंधनों के अध्यधीन, हमारे संयुक् नामों से जारी होने वाली सावधि जमा प्राप्ति की जमानत पर ऋण/अग्रिम मंजूर करें या (ख) पूर्ववर्ती/उत्तरवर्ती/हममें से पहले नाम वाले को/हममें से दूसरे या जीवित नामिति आदि हममें से किसी नाम वाले को/हममें से किसी को या हमारे जीवित नामितियों या नामिति को जमा की राशि का समयपूर्व भुगतान करें ।"

****

अनुबंध II

मास्टर परिपत्र

जमा खाता रखना

जमाकतार् शक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 26क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उसे सक्षम करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित योजना बनाता है:-

अध्यय I

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

(i) इस योजना को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूक ा निधि योजना, 2014 कहा जाएगाI

(ii) यह योजना शासकीय राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से लागू होगीI

अध्यय II

2. परिभाषाएं:

इस योजना में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(i) (क) 'अधिसूचना' से तात्पर्य है बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10);

(ख) 'बैंक' से तात्पर्य है बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक, बहु राज् सहकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, अनुषंगी बैंक, समतुल्य नवीन बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक;

(ग) 'निधि' से तात्पर्य है पैराग्राफ 3 के अंतर्गत स्थापित जमाकतार् शिक्षा और जागरूकता निधि;

(घ) 'समिति' से तात्पर्य है पैराग्राफ 8 के अंतर्गत निधि के प्रशासन हेतु गठित समिति;

(ङ) 'प्र वी तिथि' से तात्पर्य है जिस तिथि को योजना शासकीय राजपत्र में अधिसूचित की गई;

(च) 'डीआईसीजीसी' से तात्पर्य है निक्षेप बीमा निगम अधिनियम 1961 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम;

(छ) 'परिसमापक' से तात्पर्य है उस समय के लिए लागू किसी भी नियम के अंतर्गत नियुक्त बैंक का परिसमापक;

(ज) 'मूल राशि' से तात्पर्य है अधिनियम की धारा 26क के अंतर्गत किसी बैंक द्वारा निधि में अंतरित की गई ब्याज सहित राशि;

(झ) 'देय राशि' से तात्पर्य है बैंक के किसी खाते अथवा किसी जमा में दस वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि के लिए दावा प्रस्तुत न किया गया अथवा निष्क्रिय पड़ा हुआ जमा शेष;

(ii) इस योजना में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिनको यहां परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु जो अधिनियम में परिभाषित हैं, का अर्थ अधिनियम में उनके लिए परिभाषित अर्थ होगा।

3. इसमें निधि और जमाओं की स्थापना:

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक, अधिनियम की धारा 26क के संदर्भ में एतद्वारा जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना नामक एक निधि की स्थापना करता है।

(ii) इस निधि में जमा की जाने वाली राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द् ारा रखे गए विनिर्दिष्ट खाते में बैंकों द्वारा जमा की जानी है।

(iii) इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, इस निधि में जमा की जाने वाली राशि बैंकों के पास रखे गए किसी भी जमा खाते में दस साल अथवा उससे अधिक की अवधि तक परिचालित नहीं किया गया जमा शेष अथवा दस साल अथवा उससे अधिक की अवधि के लिए कोई भी अदावी राशि होनी चाहिए, जिसमें निम्नांकित शामिल हैं:-

(क) बचत बैंक जमा खाते;
(ख) सावधि अथवा मीयादी जमा खाते;
(ग) संचयी / आवर्ती जमा खाते;
(घ) चालू जमा खाते;
(ड.) किसी भी रूप के अथवा किसी भी नाम के अन्य जमा खाते;
(च) नकदी ऋण खाते;
(छ) बैंकों द्वारा उचित विनियोजन के पश्चात ऋण खाते;

(ज) साख-पत्र/गारंटी आदि जारी करने अथवा किसी अन्य प्रतिभूति जमा के एवज़ में मार्जिन राशि;

(झ) बकाया तार अंतरण, मेल अन्तरण, मांग पत्र, भुगतान आदेश, बैंकसर् चेक, विविध जमा खाते, वोस्ट्रो खाते, अंतर बैंक समाशोधन समायोजन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के गैर समायोजित जमा शेष और ऐसे अन्य अस्थायी खाते, ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) के लेनदेनों में समाधान न किए गए जमा शेष, आदि;

(ञ) यात्री चेक या अन्य समान लिखत, जिनकी परिपक्वता अवधि नहीं है, की बकाया राशियों को छोड़ कर बैंकों द्वारा जारी किसी प्रीपेड कार्ड से अनाहरित शेष राशियां;

(ट) विद्यमान विदेशी विनिमय विनियमावली के अनुसार विदेशी मुद्रा को रुपये में परिवर्तित करने के बाद बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा जमाराशियों की रुपया आमदनी; और

(ठ) ऐसी अन् राशियां, जो रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।

(iv) किसी लिखत अथवा किसी लेनदेन के अंतर्गत देय विदेशी मुद्रा में कोई राशि, जो दस वर्षों अथवा उससे अधिक समय तक अदावी रही हो, उसे निधि में अंतरण के समय उस तिथि को लागू विनिमय दर पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाएगा और दावा किए जाने की स्थिति में ऐसे लिखत अथवा लेनदेन के संबंध में निधि द्वारा प्राप्त भारतीय रुपया ही वापस करने के लिए निधि उत्तरदायी होगा।

(v) बैंक उप-पैरा (iii) में यथाविनिर्दिष्ट संपूर्ण राशि, उस पर उपचित ब्याज सहित निधि को अंतरित कर देगा, जो निधि में अंतरण की तिथि को बैंक द् ारा ग्राहक/जमाकतार् ो भुगतान करना अपेक्षित हो।

(vi) बैंक प्रभावी तिथि के पूर्व के दिन की स्थिति के अनुसार उप-पैरा (iii) और (iv) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे सभी खातों में संचयी शेष की गणना करेगा और उप-पैरा (v) में यथाविनिर्दिष्ट उपचित ब्याज के साथ अगले महीने के अंतिम कार्य दिवस पर निधि को राशि अंतरित करेगा।

(vii) प्र वी तिथि से, बैंकों से अपेक्षित है कि वे उप-पैरा (iii) और (iv) में यथाविनिर्दिष्ट प्रत्येक कैलेंडर माह में देय होने वाली राशि (अथार् दस वर्ष अथवा

उससे अधिक समय से अदावी जमाशेष) और उप-पैरा (v) में यथाविनिर्दिष्ट उस पर उपचित ब्याज अगले माह के अंतिम कार्य दिवस को निधि अंतरित करें।

(viii) बैंकिंग कंपनी (अभिलेखों की परिरक्षण अवधि) नियमावली, 1985 अथवा सहकारी बैंक (अभिलेखों की परिरक्षण अवधि) नियमावली 1985 में निहित अनुदेशों के बावजूद, बैंक निधि को जमा किए जाने के लिए अपेक्षित राशि के संबंध में जमाराशि सहित सभी खातों और लेनदेन के ब्योरे वाले अभिलेख/दस्तावेजों का स्थायी रूप से परिरक्षण करेंगे और जहां निधि से राशि लौटाने के लिए दावा प्रस्तुत किया गया हो, वहां बैंक निधि द्वारा राशि वापस करने की तिथि से कम से कम पांच वर्षों की अवधि के लिए ऐसे खातों और लेनदेन के संबंध में अभिलेख/दस्तावेजों का परिरक्षण करेंगे।

(ix) भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसे खाते या जमा अथवा लेनदेन के संबंध में सभी संबंधित सूचनाएं मांग सकता है, जिसके लिए राशि लौटाने के लिए बैंक द् ारा दावा प्रस्तुत किया गया हो।

4. धन वापसी और ब्याज:

(i) ग्राहक/जमाकतार्से मांग के मामले में जिसकी अदावी राशि/जमा धन निधि को अंतरित किया गया हो, बैंक ग्राहक/जमाकर्ता को ब्याज के साथ, यदि लागू हो, भुगतान करेंगे और ग्राहक/जमाकर्ता को भुगतान की गई समान राशि के लिए निधि से धन वापसी के लिए दावा प्रस्तुत करेंगे।

(ii) दावे पर निधि से देय ब्याज, यदि कोई हो, केवल खाते के जमाशेष को निधि में अंतरण की तिथि से लेकर ग्राहक/जमाकर्ता को भुगतान की तिथि तक देय होगा। निधि से वापस प्राप्त की गई राशि के संबंध में कोई ब्याज देय नहीं होगा, जिसके संबंध में ग्राहक/जमाकर्ता को बैंक द्वारा कोई ब्याज देय नहीं था।

(iii) निधि को अंतरित मूलधन पर देय ब्याज दर, यदि कोई हो, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(iv) पैरा 3 (iii) (ट) और 3(iv) में विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में अंकित जमा खातों, लिखतों या लेनदेनों की राशि लौटाने के किसी दावे के मामले में, इस पर ध्यन न देते हुए कि बैंकों ने जमाकताग्र्राहक को भारतीय रुपये में भुगतान किया है या विदेशी मुद्रा में, बैंक निधि से केवल भारतीय रुपये में राशि लौटाने का दावा करने के लिए पात्र होंगे।

(v) यदि जमाकर्ता द्वारा आंशिक राशि लौटाने का दावा किया जाता है, जिसकी अदावी राशि/निष्क्रिय जमाराशि निधि में अंतरित की गई है, तो खाते को पुनर्जीवित और सक्रिय किया जाएगा। ऐसे जमाकतार् के संबंध में बैंक निधि में अंतरित संपूणर्राशि, देय ब्याज, यदि हो, सहित के लिए दावा करेगा।

(vi) प्रत्येक कैलेंडर माह में बैंक द्वारा दी गई धन वापसी के लिए अगले माह के अंतिम कार्य दिवस को निधि से प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(vii) परिसमापन के अधीन किसी बैंक के मामले में परिसमापन कार्यवाही के लंबित होने के दौरान, यदि ऐसे जमाकतार् ं से कोई दावा प्राप्त होता है जिनकी जमा निधि को अंतरण के समय डीआईसीजीसी द्वारा बीमा रक्षा रही हो, तो निधि परिसमापक को ऐसी राशि के संबंध में डीआईसीजीसी से दावा की जा सकने वाली राशि के बराबर राशि का भुगतान करेगा और निधि को अंतरित राशि के लिए परिसमापक द्वारा भुगतान की गई अन्य सभी राशियों के संबंध में, चाहे डीआईसीजीसी का बीमा हो या न हो, निधि परिसमापक को प्रतिपूर्ति देगा।

5. बैंकों द्वारा विवरणियों की प्रस्तुति:

रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रारूप और तरीकों के अनुसार, बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक को विवरण प्रस्तुत करेंगे।

6. लेखाः

(i) निधि के लेखे, आय और व्यय के विवरण सहित, समिति द् ारा निधार्रत प्रारूप और तरीकों के अनुसार रखे जाएंगे।

(ii) रिज़र्व बैंक के पास रखे गए निधि के खाते में जमाराशियां रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र का एक भाग होंगी।

(iii) रिज़र्व बैंक निधि के खाते में जमाराशियों का समिति द् ारा निर्धारित तरीकों से निवेश कर सकता है।

(iv) निधि की सभी आय निधि में जमा की जाएंगी।

(v) जमाकर्ताओं की शिक्षा, जागरुकता, हितों और अन्य प्रयोजनों से किए गए व्यय, जिन्हें रिज़र्व बैंक द् ारा अधिनियम की धारा 26क (4) के अधीन विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, निधि के खर्च में शामिल होंगे।

7. लेखों की लेखापरीक्षा:

(i) निधि का लेखांकन वर्ष 1 अप्रैल ` आगामी वर्ष के 31 मार्च तक होगा।

(ii) रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निधि के लेखों की लेखापरीक्षा रिज़र्व बैंक के सांविधिक या अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की जाएगी।

(iii) प्रत्येक लेखा वर्ष की समाप्ति पर निधि के वाषिर् लेखे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निधि की गतिविधि रिपोर्ट के साथ रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

अध्याय III

समिति का गठन, प्रब न और कार्यकलाप

8. समिति का गठन:

(i) योजना के अनुसार निधि के प्रशासन और प्रबंधन के लिए एक समिति होगी।

(ii) जैसाकि रिज़र्व बैंक ने तय किया है, समिति में एक पदेन अध्यक्ष तथा छः से अधिक सदस्य नहीं होंगे। समिति के संयोजन का ब्योरा निम्नानुसार हैः

(क) गवर्नर द्वारा नामित रिज़र्व बैंक का एक उप-गवर्नर समिति का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) बैंक द्वारा इस संबंध में नामित रिज़र्व बैंक के दो से अनधिक अधिकारी, जो मुख्य महाप्रबंधक के पद से निम्न स्तर के न हों;

(ग) बारी-बारी से एक बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जैसाकि रिज़र्व बैंक द्वारा नामित किया जाएगा;

(घ) रिज़र्व बैंक द्वारा नामित एक व्यक्ि , जिसे बैंकिंग या लेखांकन या किसी ऐसे क्षेत्र का विशेषज्ञ माना जाता हो, जिसे रिज़र्व बैंक उपयुक्त समझे;

(ड.) रिज़र्व बैंक द्वारा नामित एक व्यक्ि , जो बैंकों के ग्राहकों और जमाकतार्ं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, जिसे ऐसे ग्राहकों और जमाकतार्ं द्वारा बनाए गए संगठनों या संघों में से लिया जाए और

(च) समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा नामित एक अधिकारी, जो मुख्य महाप्रब क के पद से निम्न स्तर का न हो।

(iii) समिति के पदेन अध्यक्ष को छोड़कर सभी सदस्य दो वर्षों के लिए और उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों के नामांकन होने तक कायार्लीन पद धारण करेंगे।

(iv) सेवा-निवृत्त होने वाला सदस्य पुनः नामांकन के लिए पात्र होगा।

(v) रिज़र्व बैंक समिति को निधि के प्रशासन में सहायता करने हेतु समिति के लिए सचिवालय तथा आवश्यक बुनियादी ढांचा और श्रम शक्ति उपलब्ध कराएगा।

(vi) समिति अपने कार्यों के कुशल और शीघ्र निष्पादन के लिए अपने सदस्यों के बीच एक या अधिक उप-समितियों का गठन कर सकती है, जब भी वह ऐसा करना आवश्यक समझे।

(vii) समिति के गठन में कोई त्रुटि या कोई रिक्ति समिति की किसी कार्यवाही या समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को निष्प्रभाव नहीं करेगी।

(viii) उप-पैरा (ii) (घ) और (ii) (ड.) में उल्लिखित सदस्य बैठकों में उनकी उपस्थिति के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निधार्रत पारिश्रमिक के लिए पात्र होंगे।

9. समिति के कार्य और उद्देश्य:

(i) समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार किंतु तिमाही में कम-से-कम एक बार की जाएंगी। प्रत्येक बैठक के लिए कोरम में अध्यक्ष और कुल सदस्यों के कम-से-कम एक तिहाई सदस्य होना आवश्यक है।

(ii) समिति अपने कारोबार के नियम खुद बनाएगी।

(iii) निधि का उपयोग जमाकतार् ं के हितों को बढ़ावा देने के लिए और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जो जमाकतार् ं के हितों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक होंगे। समिति अधिनियम की धारा 26क (4) में निहित प्रयोजनों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द् ारा समय-समय पर इस संदर्भ में निधार्रत प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी।

(iv) समिति व्यय करने तथा निधि के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समय-समय पर गतिविधियों की सूची, मानदंड और क्रियाविधि, आदि बना सकती हैं।

(v) समिति निधि का प्रब करेगी तथा निधि से किए जाने वाले सभी व्यय तथा निधि के निवेशों की राशि सहित निधि की ओर से सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी।

(vi) समिति के व्यय तथा निधि के प्रशासन के लिए अन्य व्यय का पूर र समिति के निर्णयानुसार निधि को लगाया जाएगा।

(vii) रिज़वर्‌बैंक को निधि द्‌वारा जमाकर्ताओं को देय ब्याज दर निर्धारित करने में सुविधा के लिए समिति निधि के आय और व्यय के संबंध में रिज़र्व बैंक को यथा-अपेक्षित जानकारी देगी।

10. बैंकों से मांग करने की शक्तियां:

(i) समिति किसी भी बैंक से निधि को देय राशि की मांग कर सकती है।

(ii) समिति अदावी राशि तथा निष्क्रिय खाते के संबंध में सामान्य या विशिष्ट बैंक से समय-समय पर सूचना मांग सकती है और ऐसे बैंकों/बैंक का यह कर्तव्य होगा कि वे समिति को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करें।

11. जमाकर्ताओं के हितों का प्रचार और संस्थाओं की मान्यता:

(i) समिति जमाकतार् ं के हित के लिए, समय-समय पर बैंकों के जमाकतार् ं के कार्यक्रम का आयोजन, जमाकतार् ं के लिए सेमिनार और संगोष्ठियों का आयोजन और इन क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाएं और अनुसंधान गतिविधियां प्रस्तावित करने वाली संस्थाओं सहित जमाकतार् जागरुकता और शिक्षा से संबंधित गतिविधियां करने वाली विभिन्न संस्थाओं, संगठनों या संघों का पंजीकरण/मान्यता देगी।

(ii) समिति द्‌वारा पंजीकृत/मान्यता प्राप्त संस्था, संगठन या संघ को प्रस्तावित गतिविधियों के स्वरूप के आधार पर सहायता अनुदान के रू में एक बार या चरणों में या प्रतिपूर्ति के रूप में, निधि का अनुदान देने पर विचार किया जाएगा।

(iii) समिति द् ारा संस्थाओं, संगठनों या संघों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित किये जाएंगे, जैसाकि उप-पैरा (i) में उल्लेख किया गया है।

(iv) समिति निधि प्रदान करने के लिए प्राधिकृत करने से पहले प्रस्तावों तथा अनुदान और सहायता के अंतिम उपयोग की जांच करेगी।

(v) समिति ऐसी संस्थाओं, संगठनों या संघों को दी गयी निधि के अंतिम उपयोग के संदर्भ में सूचना मांग सकती है या किसी भी प्रकार से सत्यापन कर सकती है।

(vi) समिति निधि के हित में कानूनी कार्रवाई सहित जो भी उचित और आवश्यक समझे, कार्रवाई कर सकती है।

12. योजना के प्रावधानों की व्याख्या:

यदि इस योजना के प्रावधानों की व्याख्या में कोई भी मुद्दा उठता है, तो मामला भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जाएगा और उस पर रिजर्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

13. योजना का संशोधन:

रिज़र्व बैंक यदि आवश्यक समझे, तो योजना के किसी या सभी प्रावधानों में किसी भी समय शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संशोधन कर सकता है।

14. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ि :

यदि इस योजना के प्रावधानों को प्र व देने में कोई कठिनाई होती है, भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक कारर् ाई कर सकता है या आदेश पारित कर सकता है।

अनुबंध ।। (ए)

डीईएफ योजना, 2014 - दिशानिर्देश

1. निधि में केवल इलेक्ट्रोनिक रूप से जमा करना

हम सूचित करते हैं कि बैंकों द्वारा देय राशियों (योजना में यथापरिभाषित) का विप्रेषण **इलेक्ट्रोनिक रूप में** भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की ई-कुबेर की पोर्टल सुविधा (कोर बैंकिंग सोल्यूशन) के माध्यम से योजना के लिए बनाए गए प्राधिकृत खाते, अर्थात् **"डीईएएफ अकाउंट 161001006009"** में किया जाए। सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि निधि में राशियां विप्रेषित करने के लिए केवल एक प्रविष्टि ही उत्पन करें। तदनुसार, योजना के पैरा 3(vi) तथा 3(vii) के अनुसार निधि में अंतरण के लिए अपेक्षित राशि को माह के अंतिम कार्यदिवस पर बैंकिंग घंटों में ऊपर विनिर्दिष्ट भारिबैंक के पास रखे गए जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि (डीईएएफ) खाते में जमा किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रत्येक बैंक को **निधि के परिचालनार्थ** भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक विशिष्ट **"बैंक डीईएएफ कोड"** आवंटित किया गया है, जो <u>अनुबंध ।</u> में दिया गया है। डीईएएफ खाते में राशि विप्रेषित करने वाले प्रत्येक बैंक को अपना विशिष्ट **"बैंक डीईएएफ कोड**" बताना होगा।

2. निधि में राशि जमा करने के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

(i) स्वयं का खाता – यह सुविधा ई-कुबेर पोर्टल में सेवा के अंतर्गत "डीईएएफ सेवा" में उपलब्ध है। जब कोई बैंक अपनी स्वयं की देय राशि इस पोर्टल में जमा कर रहा हो, तो उसे "बैंक डीईएएफ कोड" फील्ड में अपना डीईएएफ कोड (बैंक का विनिर्दिष्ट डीईएएफ कोड अनुबंध । में दिया गया है) देना चाहिए तथा जमाराशियों का विस्तृत ब्योरा (खातों की संख्य और राशि), जैसे ब्याज सहित, ब्याज रहित जमाराशियां तथा अन्य क्रेडिट (अर्थात् जमाराशियों के अलावा अन्य कोई अदावी राशि, जिसे योजना के पैरा 3 (iii) में परिभाषित किया गया है) पोर्टल की उपर्युक्त सेवा में उपलब्ध कराए गए फील्ड में प्रस्तुत करनी चाहिए। अन्य क्रेडिट ब्याज रहित होंगे।

(ii) सदस्यों का खाता – यदि कोई बैंक संपर्क करने वाले सदस्य बैंकों/अन्य बैंकों (ऐसे बैंक, जिनका आरबीआई के पास चालू खाता नहीं है) की ऐसी देय राशियों को निधि में जमा करने के लिए राशियों का विप्रेषण कर रहा हो, तो बैंक को सभी बैंकों की राशियों का समेकन नहीं करना चाहिए, बल्कि निधि में जमा की जाने वाली राशि को बैंक-वार अलग से विप्रेषित करना चाहिए। ई-कुबेर पोर्टल में "डीईएएफ सेवा" के अंतर्गत उपलब्ध **"बैंक डीईएएफ कोड"** फील्ड में बैंक द्वारा सदस्य/अन्य बैंक पोर्टल का डीईएएफ कोड दिया जाना चाहिए, जिसकी राशि अंतरित की जा रही है। साथ ही, जमाराशियों का विस्तृत ब्योरा (खातों की संख् ा और राशि), जैसे ब्याज सहित जमाराशियां, ब्याज रहित जमाराशियां तथा अन्य क्रेडिट इस संबंध में उपलब्ध कराए गए फील्ड में भरा जाना चाहिए। अन्य क्रेडिट ब्याज रहित होंगे। इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि निधि

में से सदस्य/अन्य बैंकों के दावों/धन वापसी का भुगतान करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक प्रायोजक बैंक के खाते में क्रेडिट जमा करेगा, जहां से सदस्य बैंकों/अन्य बैंकों को क्रेडिट मिलेगा।

3. निर्धारित विवरणियां

योजना के पैराग्राफ 5 के अनुसार बैंक निर्धारित प्रारूप और विधि से भारतीय रिज़र्व बैंक को **विधिवत् लेखापरीक्षित** विवरणियां प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार विधिवत् लेखापरीक्षित विवरणियां प्रस्तुत करें:-

(i) फॉमर्।- बैंक को राशि निधि में **अंतरित करने की तारीख** को एक समेकित विवरणी प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें जमा की गई कुल राशि (अंतरित अन्य क्रेडिट की राशि के साथ-साथ ब्याज सहित/ब्याज रहित जमाराशियों को अलग-अलग दर्शाते हुए) दर्शाई जाए। निधि में अंतरित प्रत्येक श्रृंखला के लिए बैंकों को पूर्ण ब्योरा रखना होगा, जैसे ग्राहक का नाम, खाता संख्या, उपचित ब्याज सहित निधि में अंतरित राशि, निधि में अंतरण की तारीख तथा अन्य संबंधित दस्तावेज आदि। बैंकों द्वारा ये ब्योरे/दस्तावेज श्रृंखला-वार रखे जाएंगे।

(ii) फॉमर् ॥- निधि में अंतरित कुल राशि के लिए एक **मासिक** विवरणी प्रस्तुत की जाएगी (ब्याज सहित जमाराशियां, ब्याज रहित जमाराशियां तथा अन्य क्रेडिट दर्शाते हुए)। विवरणी को अगले माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा।

यह निर्णय लिया गया है कि फॉर्म । और फॉमर्॥ में काफी अतिच्छादन (ओवरलैप) है, अतः फॉमर्। और फॉमर्॥ दोनों को एकत्रित करके एक नई विवरणी "फॉर्म । और फॉमर्॥" बनाई जाए, जिसका प्रारूप <u>संलग्न</u> हैं। हम सूचित करते हैं कि आवधिकता, विवरणी भेजने की अंतिम तारीख तथा 27 मई 2014 के उक् परिपत्र के पैरा 4 और 5 में निहित अन्य सभी दिशानिर्देश, जो विद्यमान फॉर्म ॥ पर लागू हैं, इस नए फॉमर्। और फॉमर्॥ पर भी लागू होंगे।

(iii) फॉमर्।॥- योजना के पैरा 4 (i) के अनुसार जिस ग्राहक/जमाकर्ता की अदावी राशि निधि में अंतरित की गई है, उससे मांग प्राप्त होने के मामले में बैंक ग्राहक/जमाकर्ता को ब्याज, यदि लागू हो, सहित राशि की चुकौती करेंगे तथा ग्राहक/जमाकर्ता को अदा की गई राशि के समतुल्य राशि की वापसी के लिए निधि में दावा पेश करेंगे। जमाकर्ता, जिसकी अदावी राशि/निष्क्रिय जमाराशि को निधि में अंतरित किया गया है, द्वारा आंशिक राशि लौटाने के किसी दावे के मामले में बैंक निधि से ऐसे जमाकर्ता के संबंध में निधि में अंतरित संपूर्ण राशि, उस पर देय ब्याज, यदि कोई हो, सहित के लिए दावा करेगा। बैंक द्वारा प्रत्येक कैलेंडर माह में धनवापसी की राशि का ब्योरा फॉर्म ॥। में परवर्ती माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फॉर्म ॥। में ग्राहक/जमाकर्ता का नाम, निधि में राशि अंतरित किए जाने की तारीख, ग्राहक को राशि अदा करने की तारीख, निधि में से दावाकृत ब्याज की दर आदि जैसे ब्योरे दिए जाने चाहिए। दावा जिस माह से संबंधित हो,

उसके अगले महीने की 15 तारीख तक विवरणी प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए, ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक उस पर कार्रवाई करके महीने के अंतिम कार्य-दिवस पर राशि लौटा सके। दावे से संबंधित कोई भी विवरणी अगले महीने की 15 तारीख के बाद प्राप्त होने पर उस पर कार्रवाई उसके अगले महीने में की जाएगी।

(iv)फॉमर् IV – बैंक द्वारा निधि से किए गए दावों के संबंध में एक समेकित मासिक विवरणी अगले माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत की जाए।

(v) फॉमर् V- वर्ष के अंत में बकाया देय राशि का मदवार ब्योरा दर्शाने वाली वार्षिक विवरणी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के बाद तीस दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

हम सूचित करते हैं कि बैंक ऊपर बताई गई आवधिकता के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को अनिवार्य रूप से उक्त विवरणियां प्रस्तुत करें। यदि कोई सूचना नहीं हो तो "कुछ नहीं" विवरणी प्रस्तुत करें। उक्त विवरणियों के प्रारूप संलग्न हैं।

4. लेखापरीक्षा

बैंक को ब्याज सहित जमाराशियों के संबंध में निधि में राशि अंतरित करने की तारीख को समवर्ती लेखा-परीक्षकों द्वारा सत्यापित ग्राहक-वार ब्योरा रखना होगा, जिसमें अद्यतन उपचित ब्याज का भुगतान शामिल हो, तथा जिसे निधि में राशि अंतरित करने की तारीख तक जमाकर्ता के खाते में जमा किया गया हो। निधि में अंतरित ब्याज-रहित जमाराशियों तथा अन्य क्रेडिट के मामले में विधिवत् लेखापरीक्षित ग्राहकवार ब्योरा बैंक के पास रखा जाएगा। समवर्ती लेखापरीक्षकों को भी सत्यापन करके प्रमाणित करना चाहिए कि बैंक द्वारा विवरणियों का सही संकलन बैंक की बहियों के अनुसार किया गया है तथा भारिबैंक को प्रस्तुत मासिक और वार्षिक विवरणियों में सही रूप में दर्शाया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा के समय उक्त विवरणियों का सत्यापन सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा भी किया जाना चाहिए तथा उनसे एक वार्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त करके भारतीय रिज़र्व बैंक को अग्रेषित करना चाहिए, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि बैंक द्वारा उक् विवरणियों का सही संकलन किया गया।

5. प्राधिकृत हस्ताक्षरी

बैंकों को सूचित किया जाता है कि निदेशक मंडल के उस संकल्प की सत् –प्रतिलिपि प्रस्तुत करें, जिसमें प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में पदनामित दो अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया हो, जो बैंक की ओर से निधि से दावों/धन-वापसी के लिए खाते को संयुक् रूप से परिचालित करेंगे। प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर का अध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकन किया जाए। बोर्ड के संकल्प के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर अनुबंध II के अनुसार प्रेषित किए जाएं।

6. लेखे पर टिप्पणियों में प्रकटीकरण

ऐसी सभी अदावी देयताओं (जहां देय राशियां डीईएएफ को अंतरित की गई हैं) को वार्षिक वित्तीय विवरणों की अनुसूची 12 के अंतर्गत “आकस्ि क देयता – अन् , ऐसी मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है” के रूप में दशार्‍य जाना चाहिए। बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे डीईएएफ में अंतरित राशियों का प्रकटन नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार लेखे पर टिप्पणियां के अंतर्गत करें।

(राशि करोड़ रुपये में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
डीईएएफ में अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष		
जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित राशियां		
घटाएं : डीईएएफ द्वारा दावों के संबंध में प्रतिपूर्ति की राशियां		
डीईएएफ में अंतरित राशियों का अंतिम शेष		

9. लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित उक्त विवरणियों की मूल प्रति मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कायार्‍ य, जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि कक्ष, 12वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को प्रेषित की जाए और साथ ही इसकी पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन प्रति को ई-मेल द्वारा भी भेजा जाए। ऊपर पैरा 6 में उल्लिखित सांविधिक लेखापरीक्षकों का वाषिर्‍ प्रमाणपत्र भी पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन प्रति के साथ उक्त पते पर भेजा जाए।

फार्म । और ॥

भारत में ऐसी अदावी जमाराशियों/ क्रेडिट्स /खातों से संबंधित मासिक विवरणी जिनके संबंध में विवरणी प्रस्तुत किए जाने की तारीख पर 10 वर्ष या इससे अधिक के लिए कोई परिचालन नहीं हुआ है / कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है और जिनको डीईएएफ खाते में अंतरित किया गया है **(रिजर्व बैंक को अगले माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत की जाए)**।

बैंक का नाम ______________________________

आरबीआई द्वारा आवंटित बैंक डीईएएफ कूट---------------------------

यदि प्रायोजक बैंक द्वारा भेजी गई है तो

प्रायोजक बैंक का नाम --------------------------------

माह _______ **वषर्**___________

डीईएएफ खाते में अंतरित करने की तारीख-

(**राशि रुपयों में**)

क्रम सं.	**विवरण**	**ब् ाज सहित जमाराशियाँ**		**ब् ाज रहित जमाराशियाँ**		**अन् क्रेडिट्स (ब् ाज रहित)**		**जोड़**	
		(क)		(ख)		(ग)		(घ) = (क)+ (ख) + (ग)	
		खातों की संख्य	राशि	खातों की संख्य	राशि	खातों की संख्य	राशि	खातों की संख्य	राशि
1	माह की शुरुआत में आगे लाया गया शेष								
2	पिछले माह की विवरणी में गलती से छूट गए तथा इस माह के दौरान अंतरित किए गए खातों की संख्या और राशि, यदि कोई हो								
3	इस माह के दौरान निधि में अंतरित खातों की संख्या (ऊपर 2 में रिपोर्ट किए गए खातों को छोड़कर)								
4	इस महीने के दौरान निपटान किए गए तथा निधि से धन-वापसी प्राप्त दावे (केवल मूलधन की राशि का उल्लेख किया जाए)								
5	माह के दौरान निधि को अंतिरत की गई निवल राशि *(2+3- 4)*								
6	_______**20**__ को समाप्त माह के अंत में निधि में मौजूद कुल राशि*(1+5)*								

हस्ताक्षर:

नाम:

अधिकारी का पदनाम (**मुहर सहित**):

स्थान: **तारीख**:

प्रमाणपत्र - ऊपर दिए गए ब्योरे बैंक के अभिलेखों के अनुसार सही हैं तथा मेरे द्वारा सत्यापित किए गए हैं और इनको ठीक पाया गया है।

हस्ताक्षर:

समवर्ती लेखापरीक्षक का नाम (मुहर सहित):

पता :

फार्म III

डीईएएफ से धनवापसी के दावे प्रस्तुत किए जाने संबंधी मासिक विवरणी

(धनवापसी दावे के साथ, जिस माह से ऐसा दावा संबंधित है, के अगले माह की 15 तारीख तक प्रस्‍ुत की जाए)

1.बैक का नाम .2 --आरबीआई द्‍ ारा आवंटित बैंक डीईएएफ कूट----------------------------

3.माह---------20 --- के दौरान प्रस्‍ुत दावों के जमाकर्ता/ग्राहकवार ब्योरे

(राशि रु यों में)

क्रम संख्य	जमाकर्ता/ग्राहक का नाम	खाते का प्रकार यथा- ब्याज सहित / ब्याज रहित अथवा अन्य क्रेडिट्	जमाकर्ता/ग्राहक के संबंध में डीईएएफ को मूल रूप से अंतरित राशि	डीईएएफ को अंतरण की तारीख (तारीख/माह/वषर्	जमाकर्ता/ग्राहक को भुगतान की गई राशि	जमाकर्ता/ग्राहक को मद संख्या (6) पर दशार् राशि का भुगतान किए जाने की तारीख (तारीख/माह/वर्ष)	निधि से धन वापसी के लिए प्रस्तुत दावे तथा डीईएएफ को अंतरित राशि का अंतर (6-4)	विभिन्न अवधियों के लिए ब्‍ ाज दरें जिनके लिए निधि को दावा प्रस्‍ुत किया गया	अवधि जिसके लिए निधि द्‍ ारा डीईएएफ को अंतरित ब्याज सहित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
खातों की कुल संख्य			जोड़		जोड़		जोड़		

निधि को अंतरित ब्याज रहित जमाराशियों तथा अन्‍ क्रेडिट् के संबंध में कालम 4 की राशि कालम 6 की राशि के बराबर होगी। इस प्रकार इन खातों के लिए कालम (8), (9) और (10) शून्‍ होंगे।

टिप्पणी- ऐसे जमाकतार् िसकी अदावी/अपरिचालित जमाराशियां निधि को अंतरित की गई हैं, द्‍ ारा यदि आंशिक राशि की धनवापसी हेतु कोई दावा प्रस्तुत किया जाता है तो बैंक को ऐसे जमाकतार्` संबंध में निधि को अंतरित सम्पूर्ण राशि तथा इस पर देय ब्याज, यदि कोई हो, की वापसी हेतु दावा निधि को प्रस्‍ुत करना होगा।
प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त दावे पहले न तो किए गए हैं और न ही डीईएएफ निधि से कोई राशि प्राप्त हुई है ।

हस्‍ ाक्षर :	हस्‍ ाक्षर :
पहले हस्‍ ाक्षरकर्ता का नाम :	दूसरे हस्‍ ाक्षरकर्ता का नाम :
अधिकारी का पदनाम (मुहर सहित):	अधिकारी का पदनाम (मुहर सहित):

तारीख

प्रमाणपत्र - ऊपर दिए गए ब्योरे बैंक के अभिलेखों के अनुसार सही हैं तथा मेरे द्‍ ारा सत्यापित किए गए हैं और इनको ठीक पाया गया है ।

हस्‍ ाक्षर:

समवर्ती लेखापरीक्षक का नाम (मुहर सहित):

पता

फामर् IV

माह के दौरान प्रस्तुत दावों के लिए समेकित विवरणी

(रिजर्व बैंक को अगले माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत की जाए)

क्रम सं.	**विवरण**	**ब्योरे**	
		खातों की संख्य	रुपयों में
1	बैंक का नाम आरबीआई द्वारा आवंटित बैंक डीईएएफ कूट-----------		
2	महीने के दौरान किए गए दावों का ब्योरा क) **ब्याज सहित दावा** i) डीईएएफ खाते में अंतरित राशि से ii) निधि से किया गया ब्याज का दावा iii) सकल दावा (i + ii) **ख)ब्याज रहित दावा** i) डीईएएफ खाते में अंतरित राशि से		
3	निधि से किया गया कुल दावा (2.(क) (iii) +2 (ख) (i))	*	@

* खातों की कुल संख्या का मिलान फार्म ।।। के कालम संख्या 1 के जोड़ से होना चाहिए।

@ राशि का मिलान भी फार्म ।।। के कालम संख्या 6 के जोड़ से होना चाहिए।

प्र णित किया जाता है कि उपर्युक्त दावे पहले न तो किए गए हैं और न ही डीईएएफ निधि से कोई राशि प्राप्त हुई है।

नाम:

अधिकारी का पदनाम (**मुहर सहित**):

हस्ताक्षर:

स्थन:

तारीख:

प्रमाणपत्र - ऊपर प्रस्तुत समेकित दावा उन जमाकर्ता/ग्राहकों से संबंधित है जिनके ब्योरे फार्म ||| में दिए गए हैं। दावों के ब्योरे वास्तविक हैं तथा मेरे द्वारा सत्यापित किए गए हैं और इनको ठीक पाया गया है।

हस्ताक्षर:

समवर्ती लेखापरीक्षक का नाम (**मुहर सहित**):

पता :

फामर्V

अदावी जमाराशियों की स्थिति पर वार्षिक विवरणी

(कैलेण्डर वर्ष समाप्त होने से तीस दिन की अवधि के भीतर)

बैंक का नाम ____

आरबीआई द्ारा आवंटित बैंक डीईएएफ कूट--------------- (राशि रुपयों में)

खातों का प्रकार	**विगत वर्ष**		**चालू वर्ष**	
	खातों की संख्या	**बकाया शेष**	**खातों की संख्या**	**बकाया शेष**
चालू जमा खाते				
बचत बैंक जमा खाते				
सावधि या मीयादी जमा खाते				
किसी भी स्वरूप या किसी भी नाम में अन्य जमा खाते				
नकदी ऋण खातों में जमा शेष				
साख पत्र / गारंटी आदि जारी किए जाने के बदले मार्जिन मनी या कोई जमानती जमाराशि				
बकाया तार अंतरण				
मेल अंतरण				
मांग ड्राफ्ट				
भुगतान आदेश				
बैंकर्स चेक				
विविध जमा खाते				
वोस्ट्रो खाते				
अंतर-बैंक समाशोधन क्रेडिट				
राष्ीय इलेक्ानिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के गैर समायोजित जमा शेष				
ऐसे अन्य अस्थायी खाते क्रेडिट				
स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) लेनदेनों के बाबत मिलान न किए जा सके जमा शेष				
बैंकों द्वारा जारी किए गए किसी प्रीपेड कार्ड के लिए अनाहरित शेष राशियां[1]				
अन् *				
कुल				

*कृपया ब् ारे दें।

हस्ताक्षर:

नाम:

अधिकारी का पदनाम (मुहर सहित):

स्थान:

तारीख:

प्रमाणपत्र - उपर्युक्त विवरण मेरे द्वारा सत्यापित किए गए और इनको ठीक पाया गया है।

हस्ताक्षर

समवर्ती लेखापरीक्षक का नाम (मुहर सहित):

पता :

परिशिष्ट

मास्ट परिपत्र

<u>जमा खाते रखना</u>

क. मास्ट परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	डीबीआर.सं.डीईएएफ कक्ष.बीसी.105/30.01.002/2014-15	18.06.2015	जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि योजना, 2014 - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 क - परिचालन संबंधी दिशानिर्देश
2.	डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी/आरसीबी)परि सं.18/13.01.000/2014-15	27.02.2015	बैंकों में अदावी जमाराशियाँ / निष्क्रिय खाते - निष्क्रिय खातों की सूची प्रकाशित करना
3.	डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी/आरसीबी)परि.सं.3/12.05.001/2014-15	12.12.2014	बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि न रखने पर दंडात्मक प्रभार लगाना
4.	शबैंवि.बीपीडी.परि.सं.14/12.05.001/2014-15	11.09.2014	निष्क्रिय खाते
5.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 69/14.01.062/2013-14	10.06.2014	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व - पते के प्रमाण संबंधी स्पष्टीकरण - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (श.स.बैं)
6.	डीबीओडी.सं.डीईएएफ कक्ष.बीसी.114/30.01.002/2013-14	27.05.2014	जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014-बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26क - परिचालन संबंधी दिशानिर्देश
7.	शबैंवि.बीपीडी.परि.सं.62/13.03.000/2013-14	15.05.2014	अपरिचालित खातों में न्यूनतम शेष नहीं बनाए रखने पर दंडात्मक प्रभार लगाना
8.	शबैंवि.बीपीडी.परि.सं.61/13.01.000/2013-14	12.05.2014	नाबालिगों के नाम पर बैंक खाते खोलना
9.	डीबीओडी.सं.डीईएएफकक्ष.बीसी.101/30.01.002/2013-14	21.03.2014	जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014-बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26क
10.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 44/13.01.002/2013-14	21.01.2014	मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 तथा स्वपरायणता(आटिज्म), मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मन्दन तथा बहुविध अक्षमता वाले व्यक्ति यों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी कानूनी अभिभावक प्रमाणपत्र
11.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 35/13.01.000/2013-14	31.10.2013	वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) - अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
12.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.	30.10.2013	उत्तराखंड आपदा में गुमशुदा व्यक्ति यों के संबंध में

	34/13.01.000/2013-14		दावों का निपटान
13.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 23/13.01.000/2013-14	30.09.2013	शहरी सहकारी बैंकों में अदावी जमाराशियां / निष्क्रिय खाते- छात्रवृत्ति की राशि क्रेडिट करने के लिए तथा सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को क्रेडिट करने के लिए खोले गए कतिपय बचत बैंक खातों का ट्रीटमेंट
14.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 21/14.01.062/2013-14	27.09.2013	विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमावली, 2011 - बैंकों द्वारा विदेशी अंशदान प्राप्ति की ऑन-लाईन सूचना दिया जाना - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
15.	शबैंवि.बीपीडी(एडी)परि.सं. 4/14.01.062/2013-14	10.09.2013	भारत में अध्ययन कर रहे विदेशी छात्र- बैंक खाता खोलने के लिए केवाईसी प्रक्रिया- प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
16.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 10/13.01.000/2013-14	05.09.2013	मृत जमाकतार् के संबंध में दावों का निपटान - प्रक्रिया का सरलीकरण –दावा फॉर्म बैंक के वेबसाईट पर रखा जाना
17.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 11/14.01.062/2013-14	05.09.2013	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड'/'धनशोधन निवारण मानक'/ 'आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध' / धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतगर् बैंकों के दायित्व – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक - स्वयं सेवा समूह के लिए मानदंड़ सरलीकृत करना
18.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 2/14.01.062/2013-14	31.07.2013	अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड /धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतगर् बैंकों के दायित्व- केवाईसी के अंतर्गत आवधिक रूप से अद्यतन संबंधी मानदंड़ों का सरलकृत किया जाना
19.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 46/14.01.062/2012-13	03.04.2013	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड /धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफ़टी) /धनशोधन निवारण अधिनियिम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के उत् रदायित् - स्वयं सहायता समूहों के लिए मानदंडों का सरलीकरण करना- प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक
20.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 39/14.01.062/2012-13	07.03.2013	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के उत्तरदायित्व- प्राथमिक(शहरी)सहकारी बैंक
21.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 37/14.01.062/2012-13	25.02.2013	अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का

			प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए) 2002 के अंतगर् बैंकों के दायित्व
22.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 32/13.01.000/2012-13	21.01.2013	मृत जमाकतार् के संबंध में दावों का निपटान - प्रक्रिया का सरलीकरण – शहरी सहकारी बैंक
23.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 28/14.01.062/2012-13	19.12.2012	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के उत्तरदायित्व
24.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 25/13.01.000/2012-13	3.12.2012	सहकारी बैंक (नामांकन) नियमावली, 1985 - स् ष्टीकरण
25.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 14/14.01.062/2012-13	09.10.2012	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफ़टी) संबंधी दिशानिर्देश - भारत में बैंक ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) – प्रथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
26.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 8/14.01.062/2012-13	13.09.2012	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफ़टी) - जोखिम संवर्गीकरण और ग्राहक विवरणों (प्रोफाइल्स) को अद्यतन करना – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
27.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 6/13.01.000/2012-13	30.08.2012	"दोनों खाताधारकों में से कोई एक अथवा उत् रजीवी" अथवा "दोनों खाताधारकों में से प्रथम खाताधारक अथवा उत् रजीवी" अधिदेश के साथ बैंकों में मीयादी/सावधि जमा की अवधिपूर्ण चुकौती - स्पष्टीकरण
28.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 5/13.01.000/2012-13	17.08.2012	वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बुनियादी बचत बैंक जमा खाता
29.	शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 3/14.01.062/2012-13	10.07.2012	एक ही बैंक की शाखाओं के बीच जमा खातों का अंतरण
30.	शबैंवि. बीपीडी. (पीसीबी) सं. 34 /12.05.001/2011-12	11.05.2012	अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी दिशानिर्देश - स्वामित्व प्रतिष्ठानों के खाते
31.	शबैंवि. बीपीडी. (पीसीबी) सं. 11 /13.01.000/2011-12	17.11.2011	बैंकों में मीयादी/सावधि जमाओं का पुनर्भुगतान
32.	शबैंवि. बीपीडी. (पीसीबी) सं. 8 /12.05.001/2011-12	09.11.2011	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड - भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (युआईडीएआइ)द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता तथा आधार संख्य निहित है
33.	शबैंवि. बीपीडी. (पीसीबी) सं. 37 /12.05.001/2010-11	18.02.2011	अपने ग्राहक को जनिए मानदंड /धन शोधन निवारण मानक /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध

			(सीएफटी)/ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतगर् बैंकों के दायित्व
34.	शबैंवि. केका बीपीडी.सं. 35 /12.05.001/2010-11	10.01.2011	बैंक खाते खोलना - वेतनभोगी कर्मचारी
35.	शबैंवि. बीपीडी. केका.सं. 33 /12.05.001/2010-11	31.12.2010	बैंक खातों का परिचालन तथा 'धनशोधन के माध् म बने व्यक्ति'
36.	शबैंवि. बीपीडी. (पीसीबी)सं. 10 /12.05.001/2010-11	23.08.2010	अपने ग्राहक को जनिए मानदंड /धन शोधन निवारण मानक /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतगर् बैंकों के दायित्व
37.	शबैंवि. बीपीडी. कैंका. एनएसबी 1परि .सं. 38/12.03.000/2009-10	23.12.2009	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशा निर्देश - स्वामित्व प्रतिष्ठान के खातें
38.	शबैंवि.कैंका. बीपीडी (पीसीबी) .परि. सं. 22/12.05.001/2009-10	16.11.2009	बैंक द्वारा सुरक्षित जमा लाकर / सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा तथा सुरक्षित जमा लाकर / सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु वापस लौटाना - शहरी सहकारी बैंक
39.	शबैंवि. बीपीडी (पीसीबी) .परि. सं . 19/13.01.000/2009-10	09.11.2009	शहरी सहकारी बैंकों में अदावी जमाराशियां तथा निष्क्रिय खाते
40.	शबैंवि. बीपीडी. कैंका. एनएसबी 1 परि. सं. 11/12.03.000/2009-10	29.09.2009	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशा निर्देश - स्वामित्व प्रतिष्ठान के खातें
41.	शबैंवि.कैंका. बीपीडी.पीसीबी .परि. सं .9/12.05.001/2009-10	16.09.2009	बहुस्तरीय मार्केटींग फर्मों के खाते खोलने तथा उनके परिचालन में केवायसी /एएमएल दिशानिर्देशों का पालन
42.	शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.56/09.39.000/2008-09	12.03.2009	सहकारी बैंक (नामांकन) नियमावली, 1985 - नामांकन की प्राप्ति-सूचना तथा पासबुक /मीयादी जमा रसीदों में नामिती का नाम दर्शाना
43.	शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.9/13.01.000/2008-09	01.09.2008	बैंकों में अदावी जमाराशिया तथा अप्रचलितं/निष्क्रिय खाते - शहरी सहकारी बैंक
44.	डीपीएसएस सं 2096/ 04.04.007/07-08	20.06.2008	बडी राशि के लेनदेनों के लिए इलेक् ॉनिक माध् म से भुगतान
45.	शबैंवि. पीसीबी. बीपीडी. परि.सं. 45/13.01.000/2007-08	12.05.2008	गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान
46.	डीपीएसएस सं 1407/02.10.02/07-08	10.03.2008	बडी राशि के लेनदेनों के लिए इलेक् ॉनिक माध् म से भुगतान
47.	शबैंवि.केका. बीपीडी. 32/09.39.000 /2007-08	25.02.2008	`अपने ग्राहक को जानिए' (केवाइसी) मानदंड /धनशोधन निवारण (एएमएल)मानक /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)
48.	शबैंवि.केका.बीपीडी.27/12.05.001/2007-08	4.12.2007	जिला न्यायालयों द्वारा नियुक्त अभिभावक
49.	21/13.01.000/2007-08	15.11.2007	निश्चित अवरुद्धता वाली जमाराशि योजनाए
50.	2/09.18.300/2007-08	4.07.2007	सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित वित्तीय समावेशन

51.	शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.36/13.01.00/2006-07	19.04.2007	एकल जमा खाते में नामांकन की सुविधा - शहरी सहकारी बैंक
52.	शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.46/16.12.000/2006-07	19.04.2007	एनआरई / एनआरओ खाते रखने के लिए मानदंड - शहरी सहकारी बैंक
53.	शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.19/13.01.00/2005-06	24.11.2005	वित्तीय समावेशन - शहरी सहकारी बैंक
54.	शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.4/13.01.00/2005-06	14.7.2005	दिवंगत जमाकर्ताओं के दावों का निपटान - सरल प्रक्रिया - शहरी सहकारी बैंक
55.	शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.7/09.11.01/2004-05	29.7.2004	बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन की आवश्यकता
56.	शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.14/09.11.01/2004-05	24.8.2004	बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन की आवश्यकता
57.	शबैंवि.कैंका.बीआर. 29/ 16.48.00/2000-01	29.01.2001	दिवंगत ग्राहकों के खातों में शेष जमा का जीवित नामितियों/ दावाकर्ताओं को भुगतान
58.	शबैंवि.बीआर. 15/16.48.00/ 2000-01	21.11.2000	दिवंगत ग्राहकों के खातों में शेष जमा का जीवित नामितियों/ दावाकर्ताओं को भुगतान
59.	शबैंवि.कैंका.बीएसडी. I/11/ 12.05.00/2000-01	15.11.2000	जमा खाता खोलना - औपचारिकताएं पूरी करना
60.	शबैंवि.बीआर. परि. 3/ 16.48.00/2000-01	25.08.2000	दिवंगत ग्राहकों के खातों में शेष जमा का जीवित नामितियों/ दावाकर्ताओं को भुगतान
61.	शबैंवि.सं. बीएसडी.I/12/ 12.05.00/99-2000	28.10.1999	विदेशी सहायता (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतगर् भारत में विभिन्न संघों/संगठनों द्वारा विदेशी सहायता की प्राप्ति
62.	शबैंवि.सं. बीआर 32/16.04.00/ 98-99	28.06.1999	जमा खातों में नामांकन सुविधा
63.	शबैंवि.सं.बीएसडी.I/पीसीबी.18/ 12.05.01/98-99	30.01.1999	विदेशी सहायता (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतगर् भारत में विभिन्न संघों/संगठनों द्वारा विदेशी सहायता की प्राप्ति
64.	शबैंवि.सं. डीएस.पीसीबी. परि..12/13.01.00/98-99	21.12.1998	बूढ़े/बीमार/अक्षम ग्राहकों द्वारा बैंक खातों का परिचालन
65.	शबैंवि.सं. आयो. पीसीबी.परि. 23/09.50.00/97-98	28.11.1997	चेक बुक जारी करना
66.	शबैंवि.सं.बीएसडी.I/पीसीबी.09/ 12.05.00/97-98	18.09.1997	फर्जी/बेनामी जमा खाते खोलना तथा चोरी/जालसाजी के लिखतों आदि की वसूली
67.	शबैंवि.सं.आई तथा एल.49/ 12.05.00/95-96	14.03.1996	बैंकों में धोखाधड़ियां - विस्तार पटल
68.	शबैंवि.सं. आई तथा एल.51/ 12.05.00/95-96	14.03.1996	फर्जी खातों के माध् म से बैंकों में धोखाधड़ियां
69.	शबैंवि.सं. आई तथा एल. पीसीबी. 44/12.05.00/95-96	22.02.1996	जमा खातों की निगरानी करना

70.	शबैंवि.सं. आई तथा एल. पीसीबी. 2136/12.05.00/95-96	05.01.1996	बैंकों में धोखाधड़ियों तथा भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जाँच करने के लिए समिति
71.	शबैंवि. सं. आई तथा एल. पीसीबी. 28/12.05.00/95-96	10.11.1995	जमा खातों की निगरानी करना
72.	शबैंवि.सं. आई तथा एल.पीसीबी. 65/12.05.10/94-95	28.06.1995	बैंकों में धोखाधड़ियां - जमा खातों की निगरानी करना
73.	शबैंवि. सं. आई तथा एल (पीसीबी) 38/12.15.00/94-95	10.01.1995	वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) पर प्राक् लन समिति की 34 वी रिपोर्ट - धोखाधड़ियों की रोकथाम
74.	शबैंवि.सं. आई तथा एल. 27/12.05.00/94-95	31.10.1994	धोखाधड़ियों तथा भ्र ाचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए समिति - जमा कतार्ं का फोटोग्राफ लेना
75.	शबैंवि. सं. आई एण्ड एल.पीसीबी. 24/12.05.00/94-95	19.10.1994	भुगतान लिखतों का फर्जी नकदीकरण
76.	शबैंवि.सं. आई एवं एल.74/ 12.05.00/93-94	27.05.1994	बैंकों में धोखाधड़ियों तथा भ्रष्टाचार में संबंधित विभिन्न पहलुओं की जाँच करने के लिए समिति
77.	शबैंवि.सं.36/12.05.00/93-94	08.12.1993	बैंकों में धोखाधड़ियों तथा भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जाँच करने के लिए समिति - प्राथमिक सहकारी बैंक
78.	शबैंवि.डीसी.I/वी.1/89-90	02.01.1990	संरक्षक के रु में माताओं के साथ अल्पवयस्कों के नाम पर बैंक खाते खोलना
79.	शबैंवि. सं. बीआर.695/बी.1/88-89	19.12.1988	जीवित नामितियों/दावाकतार्ं को दिवंगत ग्राहकों के खातों में बकायों का भुगतान - उत् राधिकार प्रमाणपत्र की प्रस्तुति का आग्रह न करना - अन् आस्तियों को बढ़ाना
80.	संदर्भ.शबैंवि.सं.डीसी.18/वी.1/88-89	10.08.1988	निजी संगठनों द्वारा शुरु की गई जमा संग्रह योजनाएं - बैंकों द्वारा लॉटरी टिकटों की बिक्री
81.	शबैंवि. सं. बीआर.483/बी1/87-88	21.10.1987	जीवित नामितियों/दावाकतार्ं को दिवंगत ग्राहकों के खातों में बकाया का भुगतान
82.	शबैंवि.सं. आई एवं एल.88/जे.1/87-88	08.06.1987	बैंकिंग प्रणाली तथा आयकर प्राधिकारियों के बीच अधिक समन् य से संबंधित मामले
83.	शबैंवि. डीसी.19/वी.1/86-87	03.09.1986	अनियमित निकायों/प्राइवेट लि. कंपनियों द्वारा "बैंक गारंटी" के साथ जमा की स्वीकृति
84.	शबैंवि.बीआर.13/ए6/86-87	11.08.1986	बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित 45 जेड ए से 45 ज़ेड एफ तक की धाराएं - सहकारी बैंक नामांकन नियम, 1985 - नामांकन सुविधाएं
85.	शबैंवि.सं. आई एवं एल.110/जे.1/85-86	02.06.1986	जमा खाते - खोलना
86.	शबैंवि. बीआर..764ए/ए-6/84-85	29.03.1985	बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983-84 - शेष उपबंधों को लागू करना

87.	शबैंवि. (डीसी) 1148/वी.1/84-85	22.02.1985	संरक्षक के रु में माता के साथ अल्पवयस्क के नाम से बैंक खाता खोलना
88.	शबैंवि. बीआर.16/ए.6/84-85	09.07.1984	बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983
89.	डीबीओडी.शबैंवि. (आईएवंएल) सं. 2584/जे.1/82-83	22.03.1983	प्राथमिक सहकारी बैंकों में विभिन्न जमा खाते खोलना - परिचय
90.	एसीडी.आईडी. (पी) 6428/जे.1/80-81	17.02.1981	संयुक्त खाता `कोई एक या जीवित नामिति' `उत् रवर्ती या जीवित नामिति' `पूवर्ती या जीवित नामिति' आदि
91.	एसीडी.आईडी. 4998/जे.17/ 76-77	09.12.1976	जमा खाते : परिचय
92.	एसीडी.आईएनएसपी.5173/एफ.15/70-71	17.06.1971	अदावाकृत जमाराशियों के लिए रजिस्ट
93.	एसीडी.बीआर.1454/ए.1/67-68	08.04.1968	क्रेडिट सोसायटी या सहकारी बैंक के अलावा किसी सहकारी सोसयटी द्वारा बैंकिंग विधियों (सहकारी सोसायटीयों पर यथालागू) के प्रारंभ से पहले स्वीकार की गई मीयादी जमा राशियों की स्थिति

अन् परिपत्रों की सूची जिनसे जमा खाते रखने से संबंधित अनुदेश भी मास्ट परिपत्र में समेकित किए गए हैं

सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	शबैंवि.बीएसडी-1/8/12.05.00/2000-2001	09.11.2000	धोखाधड़ियां - रोकथाम के उपाय
2.	शबैंवि.21/12:15:00/93-94	21.09.1993	बैंकों में धोखाधड़ियों तथा भ्र ाचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए समिति - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक